# परिचय और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में महत्वपूर्ण परिवर्तन

# भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023- परिचय एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन

- कुल **9 नई धारायें** जोड़ी गयी हैं।
- कुल **39 नयी उपधारायें/खंड** जोड़े गये हैं।
- कुल **44 नये परन्तुक एवं स्पष्टीकरण** जोड़े गये हैं।
- कुल **35 जगहों पर ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक/वीडियोग्राफी के साधनों** का प्रयोग कर न्याय प्रदान करने में पारदर्शिता और जवाबदेही निर्धारित की गयी है।
- त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए **35 स्थानों पर समय-सीमा** निर्धारित की गई है।
- कुल **15 प्रावधान निरसित** किये गये हैं।
- कुल **177 प्रावधानों** को संशोधित किया गया है।

# परिभाषायें

- धारा 2 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नई परिभाषाओं को उद्धरित किया गया है, जिसमें [धारा 2(1)(क)] **'श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों**', [धारा 2(1)(ख)] **'जमानत'** , [धारा 2(1)(घ)] **जमानत-पत्र,** [धारा 2(1)(ङ)] **'बंध- पत्र',** [धारा 2(1)(झ)] **'इलेक्ट्रॉनिक संसूचना'** है।
- इसके अलावा, आरोपी व्यक्ति पर औपचारिक रूप से आरोप लगाने की आवश्यकता को समाप्त करके **'पीड़ित'** की परिभाषा [धारा 2(1)(म)] को व्यापक बना दिया गया है।
- धारा [2(1)(ठ)] **'अन्वेषण'** की परिभाषा में एक स्पष्टीकरण जोड़ा गया है, यह स्पष्ट करने के लिए कि यदि किसी विशेष अधिनियम का कोई प्रावधान बीएनएसएस, 2023 के प्रावधानों के साथ असंगत है, तो विशेष अधिनियम का प्रावधान लागू होगा।
- धारा 2(च) भारत, 2(ट) महानगर क्षेत्र, 2(थ) प्लीडर, 2(न) विहित की परिभाषाऐं हटा दी गई है।
- देश भर के न्यायालयों और न्यायाधीशों की श्रेणियों में एकरूपता लाने के लिए तृतीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और सहायक सत्र न्यायाधीशों के पद को समाप्त कर दिया गया है।

# अभियोजन से संबंधित परिवर्तन

- बीएनएसएस की धारा 20 एक व्यापक अभियोजन निदेशालय की स्थापना करती है। पहली बार धारा 20(1)(ख) के अंतर्गत **जिला अभियोजन निदेशालय** का प्रावधान किया गया है।
- यह निर्धारित किया गया है कि अभियोजन निदेशालय का नेतृत्व अभियोजन निदेशक द्वारा किया जाएगा जो या तो 15 साल की प्रैक्टिस वाला वकील या सत्र न्यायाधीश हो सकता है।
- **अभियोजन निदेशक** [धारा 20(7)] अपील दायर करने पर राय देने और 10 साल या अधिक/आजीवन कारावास/मृत्यु की सजा वाले मामलों की निगरानी के लिए जिम्मेदार होंगे।
- **अभियोजन उप निदेशक** [धारा 20(8)] को पुलिस रिपोर्ट की जांच करने और 7 साल या उससे अधिक लेकिन 10 साल से कम की सजा वाले मामलों की निगरानी करने और उनके शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।
- **सहायक निदेशक अभियोजन** [धारा 20(9)] को 7 वर्ष से कम सजा वाले मामलों की निगरानी करने का अधिकार दिया गया है।
- केंद्र सरकार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अभियोजन के उद्देश्य से लोक अभियोजक या अतिरिक्त लोक अभियोजक नियुक्त करने की अनुमति देने के लिए बीएनएसएस, 2023 की धारा 18(1) में एक **परन्तुक** जोड़ा गया है।
- सहायक लोक अभियोजक की अनुपस्थिति में **किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति** के मामले में, जिला मजिस्ट्रेट को ऐसी नियुक्ति करने से पहले **राज्य सरकार को 14 दिन का नोटिस** देना आवश्यक है [धारा 19(3)]।

## दण्ड सम्बन्धी प्रक्रिया

- धारा 23 में प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना लगाने की सीमा की शक्ति को 10,000 से बढाकर अधिकतम रु. 50,000 और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के लिए रु. 5,000 से बढाकर 10,000 रु. कर दिया गया है। मजिस्ट्रेटों के इन दो वर्गों को सजा के रूप में सामुदायिक सेवा लागू करने का भी अधिकार दिया गया है।
- सामुदायिक सेवा की व्याख्या इस प्रकार की गई है "अदालत द्वारा आदेशित कार्य जिससे समुदाय को लाभ होता है और जो किसी भी पारिश्रमिक का हकदार नहीं है" [धारा 23 का स्पष्टीकरण]।
- कई अपराधों में सजा के मामले में, बीएनएसएस, 2023 की धारा 25 में एक अतिरिक्त प्रावधान किया गया है कि अदालत **अपराधों की गंभीरता** पर विचार करते हुए सजा को **एक साथ या क्रमवर्ती** चलाने का आदेश देगी।

# अपराध रिपोर्टिंग- प्रथम सूचना रिपोर्ट

- धारा 173 में **जीरो एफआईआर** दर्ज करने का प्रावधान किया गया है. अब, जब पुलिस को ऐसी सूचना प्राप्त होती है जो किसी पुलिस स्टेशन की सीमा के बाहर किसी अपराध के घटित होने का खुलासा करती है, तो इसे ऐसे अधिकारी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तक में दर्ज किया जाएगा।

- इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक संचार **(ई-एफआईआर)** के माध्यम से जानकारी दर्ज करने का प्रावधान इस सक्षम प्रावधान के साथ जोड़ा गया है कि ई-एफआईआर को रिकॉर्ड में लेने से पहले ऐसी जानकारी देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर **3 दिनों के भीतर** लिए जाएंगे।

- धारा 173(3) में बीएनएसएस ने **3 साल या उससे अधिक लेकिन 7 साल से कम की सजा** वाले मामलों में **'प्रारंभिक जांच'** की अवधारणा का समावेश किया गया है। ऐसी प्रारंभिक जांच को पूरा करने की समयसीमा **14 दिन** तय की गई है। ऐसी प्रारंभिक जांच केवल **पुलिस उपाधीक्षक स्तर से अन्यून अधिकारी** की पूर्व अनुमति से ही की जा सकती है।

- धारा 173(4) में पुलिस अधीक्षक के हस्तक्षेप के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने की स्थिति में **'मजिस्ट्रेट को आवेदन करने'** का विशेष उल्लेख किया गया है।

# अपराध रिपोर्टिंग- परिवाद

- नागरिकों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए धारा 223 में यह प्रावधान किया गया है कि मजिस्ट्रेट किसी शिकायत पर अपराध का संज्ञान लेने के लिए आगे बढ़ने से पहले **आरोपी व्यक्ति को अदालत में अपना पक्ष रखने** का अवसर देगा।
- धारा 223, परिवाद के मामलों में अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले **लोक सेवकों के खिलाफ झूठे और तुच्छ मामलों से सुरक्षा** प्रदान करती है। मजिस्ट्रेट अब किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायत पर उसके दावों पर विचार करने और अपने वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों वाली एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद संज्ञान लेगा।
- एफआईआर दर्ज करने और जांच का निर्देश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति:
  - अब धारा 175(3) के तहत, संज्ञेय अपराध के मामले में, मजिस्ट्रेट को पुलिस द्वारा जांच का निर्देश देने से पहले **शिकायतकर्ता के आवेदन के साथ-साथ पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए शपथ पत्र से समर्थित प्रार्थना पत्र की जांच** करने की आवश्यकता होती है। इस संबंध में मजिस्ट्रेट पूछताछ कर सकते हैं।
  - बीएनएसएस की धारा 175(4) अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले **लोक सेवकों के खिलाफ झूठे और तुच्छ मामलों से सुरक्षा** प्रदान करती है। मजिस्ट्रेट अब किसी लोक सेवक के खिलाफ उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान उत्पन्न होने वाली शिकायत पर उसके द्वारा किए गए दावों पर विचार करने और उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों वाली एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद संज्ञान लेगा।

# गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित परिवर्तन

- **तीन साल से कम सजा वाले अपराध में गिरफ्तारी पर आंशिक प्रतिबंध-** धारा 35(7) में यह प्रावधान किया गया है कि तीन साल से कम सजा वाले अपराध के मामले में कोई गिरफ्तारी पुलिस उपाधीक्षक स्तर से अन्यून अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी यदि व्यक्ति अशक्त है या 60 वर्ष से अधिक उम्र का है।
- **पुलिस रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करते समय कोई गिरफ्तारी नहीं [धारा 190(1) प्रावधान] -** यदि आरोपी हिरासत में नहीं है, तो पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए प्रतिभूति लेगा और मजिस्ट्रेट आरोप पत्र स्वीकार करने से इस आधार पर इनकार नहीं करेगा कि आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया है।
- **लिखावट/हस्ताक्षर/आवाज का नमूना/उंगली के निशान का नमूना लेने पर कोई गिरफ्तारी नहीं** (धारा 349)
- धारा 37(ख) में कहा गया है कि **प्रत्येक जिले और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक नामित पुलिस अधिकारी** होगा, जो एएसआई के पद से नीचे नहीं होगा, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विवरण आदि के बारे में आम जनता को जानकारी देने के लिए जिम्मेदार होगा। स्पष्ट दृश्यता के लिए, गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम, पते और आरोपों को अब डिजिटल माध्यम से प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा ।
- बीएनएसएस की धारा 35(3) के अनुसार **उपस्थिति की सूचना** के उद्देश्य से **फॉर्म 1** भरा जायेगा, जिसका प्रारूप बीएनएसएस की अनुसूची में दिया गया है।

# गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित परिवर्तन

- किसी **प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी** के मामले में, बीएनएसएस, 2023 की धारा 40 को संशोधित किया गया है जिसके अनुसार ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को **छह घंटे के भीतर** पुलिस अधिकारी के सामने पेश किया जाए या निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाया जाए।
- गिरफ्तार व्यक्ति की गिरफ्तारी और अदालत के समक्ष पेशी के दौरान **हथकड़ी का उपयोग** [धारा 43(3)] - जो या तो पहले हिरासत से भाग गया है या आदतन या बार-बार अपराधी है या संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, नशीली दवाओं जैसे जघन्य अपराध, हथियारों और गोला-बारूद का अवैध कब्ज़ा, हत्या, बलात्कार, बच्चों के खिलाफ यौन अपराध, एसिड हमला, सिक्कों और मुद्रा नोटों की जालसाजी, मानव तस्करी, राज्य के खिलाफ अपराध।
- पुलिस हिरासत में गिरफ्तार व्यक्ति की **अतिरिक्त चिकित्सा जांच** विशेष रूप से बीएनएसएस, 2023 की धारा 53 में शामिल है।
- वारंट के तहत गिरफ्तारी के मामले में, बीएनएसएस में धारा 82 गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी पर यह कर्तव्य अधिरोपित करती है कि वह ऐसी गिरफ्तारी और उस स्थान के बारे में जानकारी जहां गिरफ्तार व्यक्ति को रखा जा रहा है, नामित पुलिस अधिकारी और अन्य जिला का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार व्यक्ति सामान्यतः रहता है, को तुरंत जानकारी दे।
- धारा 50 में गिरफ्तारी के बाद आक्रामक हथियार की **'तत्काल'** जब्ती का प्रावधान है।
- धारा 51(3) में चिकित्सक बिना किसी देरी के गिरफ्तार व्यक्ति की जांच रिपोर्ट आई.ओ. को अग्रेषित करेगा।

# गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित परिवर्तन

- नई सम्मिलित धारा 172 में, किसी **पुलिस अधिकारी के किसी भी निर्देश का विरोध करने, इनकार करने, अवहेलना करने आदि पर किसी भी व्यक्ति को** हिरासत में लेने या हटाने की पुलिस की शक्ति का प्रावधान किया गया है, जो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने और छोटे मामलों में अवसर बीत जाने के 24 घंटे के भीतर व्यक्ति की रिहाई की गारंटी देता है।
- **पुलिस हिरासत-** धारा 187 60/90 दिनों की कुल हिरासत अवधि के पहले 40/60 दिनों की अवधि में अधिकतम 15 दिनों के लिए आरोपी की पुलिस हिरासत मांगने का अवसर देती है। धारा में प्रावधान है कि पुलिस अधिकारी को किसी आरोपी की ऐसी हिरासत तभी मिलेगी जब वह जमानत पर नहीं है या उसकी जमानत रद्द कर दी गई है।
- अभियुक्त के जमानत के अधिकार की रक्षा करने के लिए, धारा 480 विशेष रूप से प्रावधान करती है कि अभियुक्त को पहले 15 दिनों से अधिक की पुलिस हिरासत की आवश्यकता होने के कारण, अभियुक्त को जमानत देने से इनकार करने का एकमात्र आधार नहीं होगा।
- **कोई हाउस अरेस्ट आदि नहीं** - इसके अलावा, धारा 187 में प्रावधान है कि हिरासत केवल पुलिस हिरासत के तहत एक पुलिस स्टेशन में या न्यायिक हिरासत के तहत जेल में या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा जेल के रूप में घोषित किसी अन्य स्थान पर होगी।

# अन्वेषण प्रक्रिया में बदलाव

- **समन, तलाशी और जब्ती संबंधी परिवर्तन:**
- धारा 94 में, बीएनएसएस ने **संचार उपकरणों सहित इलेक्ट्रॉनिक संचार का समावेश** शुरू किया, जिसमें डिजिटल साक्ष्य होने की संभावना है।
- **धारा 105** एक नया प्रावधान जोड़ा गया है, जिसमें **जब्त की गई वस्तुओं की सूची तैयार करने और गवाह द्वारा उस पर हस्ताक्षर करने सहित तलाशी और जब्ती की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी** अनिवार्य कर दी गई है। ऐसी वीडियोग्राफी मोबाइल फोन पर की जा सकती है।
- धारा 107 एक नया प्रावधान जोड़ा गया है ताकि पुलिस, न्यायालय की अनुमति से, **अपराध से अर्जित आय के रूप में प्राप्त किसी भी संपत्ति को कुर्क और जब्त** कर सके। पहली बार अपराध से अर्जित सम्पत्ति की कुर्की, जब्ती और बहाली पर ऐसा प्रावधान बीएनएसएस, 2023 में पेश किया गया है।
- धारा 185 तलाशी लेते समय पुलिस की शक्तियों पर कुछ निर्बन्धन का प्रावधान है। सबसे पहले, पुलिस अधिकारी को धारा 185(1) के तहत किसी स्थान पर तलाशी लेने के लिए अपने विश्वास के आधार को **'केस-डायरी'** में दर्ज करना आवश्यक है। इसके अलावा, किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की गई किसी भी तलाशी को धारा 185(2) के अनुसार **ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड** किया जाएगा। इसके अलावा, धारा 185(5) पुलिस अधिकारी को **48 घंटों के भीतर**, इस संबंध में किए गए किसी भी रिकॉर्ड की प्रतियां निकटतम मजिस्ट्रेट को भेजने के लिए जवाबदेह बनाती है जो अपराध का संज्ञान लेने के लिए अधिकृत है।
- **धारा 497 जांच के दौरान** भी मामले से संबंधित संपत्तियों के त्वरित निस्तारण का समावेश करती है, ऐसी संपत्ति की **तस्वीर/वीडियोग्राफी किए जाने के 14 दिनों के भीतर** न्यायालय द्वारा संपत्ति का विवरण तैयार करने पर ऐसे बयान, तस्वीरें और वीडियोग्राफी का उपयोग किसी भी जांच, मुकदमे या अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में किया जाएगा। न्यायालय, विवरण तैयार होने के 30 दिनों के भीतर, ऐसी संपत्ति के निपटान, विनाश, जब्ती या वितरण का आदेश देगा।

# जांच प्रक्रिया में बदलाव

- गंभीर मामलों में **अपराध की प्रकृति और गंभीरता** को देखते हुए, धारा 175(1) में बीएनएसएस पुलिस अधीक्षक को **जांच करने के लिए डीएसपी रैंक के अधिकारी को नियुक्त करने** की अनुमति देता है।
- **फोरेंसिक का उपयोग-** जांच में विश्वसनीयता लाने के लिए, धारा 176(3) में **7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए** फोरेंसिक साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों को अपराध स्थल पर जाना अनिवार्य किया गया है। राज्य, यथाशीघ्र, लेकिन 5 वर्ष से अनाधिक समय में, ऐसे मामलों में फोरेंसिक साक्ष्य संग्रह को अनिवार्य बना देंगे। साथ ही, जहां फिलहाल फोरेंसिक सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां यह प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार ऐसी सुविधा के उपयोग को दूसरे राज्य में अधिसूचित कर सकती है।
- असंज्ञेय मामलों में पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता को मजिस्ट्रेट के पास भेजने के अलावा, ऐसे मामलों की **दैनिक डायरी रिपोर्ट भी मजिस्ट्रेट को पाक्षिक रूप से अग्रेषित करेगा** [धारा 174]

# अन्वेषण प्रक्रिया में बदलाव

- बयानों और स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग: बीएनएसएस की **धारा 179** में महिलाओं, 60 साल से ऊपर के व्यक्ति और गंभीर बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने से छूट दी गई है। इसके अलावा, छूट श्रेणी में उल्लिखित व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने की अनुमति देने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है, यदि वह ऐसा करने के लिए इच्छुक है।
- **धारा 183** में, अब न्यायिक मजिस्ट्रेट जिसके जिले में अपराध दर्ज किया गया है (चाहे मामले में क्षेत्राधिकार हो या नहीं) को जांच के दौरान स्वीकारोक्ति या बयान दर्ज करने के लिए सक्षम बनाया गया है।
- गंभीर और जघन्य अपराधों के लिए, **धारा 183 में यह प्रावधान किया गया है कि दस साल या उससे अधिक के कारावास** या आजीवन कारावास या मृत्युदंड से दंडनीय अपराधों से संबंधित मामलों में, न्यायिक मजिस्ट्रेट **अनिवार्य रूप से अपने सामने लाए गए गवाह का बयान दर्ज करेगा**।
- पुलिस अधिकारी द्वारा बलात्कार की पीड़िताओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए **धारा 176(1)** में प्रावधान है कि ऐसी पीड़िता का बयान ऑडियो-वीडियो माध्यम से दर्ज किया जाएगा।
- बलात्कार के पीड़ितों को और अधिक सुरक्षा प्रदान करते हुए, धारा **183(6)(क)** में यह अनिवार्य किया गया है कि उनका बयान केवल एक महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज किया जाएगा और उसकी अनुपस्थिति में, एक पुरुष न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा एक महिला की उपस्थिति में दर्ज किया जाएगा।

## अन्वेषण प्रक्रिया में बदलाव

- धारा 193(9) का प्रावधान परीक्षण के दौरान **आगे की जांच** करने के लिए एक समय-सीमा प्रदान करता है। यह प्रावधान किया गया है कि आरोप पत्र दाखिल करने के बाद यदि आगे की जांच की आवश्यकता है, तो इसे 90 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा, और 90 दिनों से अधिक समय अवधि का कोई भी विस्तार केवल अदालत की अनुमति से होगा।
- लोक सेवकों के खिलाफ **अभियोजन की मंजूरी** प्राप्त करने में होने वाली देरी को समाप्त करने के प्रयास में, **धारा 218** में यह प्रावधान किया गया है कि मंजूरी देने वाला प्राधिकारी अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से 120 दिनों के भीतर निर्णय लेगा, ऐसा न होने पर ऐसे प्राधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया, माना जाएगा।

## पुलिस रिपोर्ट और दस्तावेजों को दिया जाना

- धारा 193(3)(i) में पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम** सहित मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट अग्रेषित करना शामिल है।
- धारा 210 के तहत, मजिस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर किसी भी अपराध का संज्ञान लेने में सक्षम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी अनुकूलता प्रदान की गई है।
- पुलिस रिपोर्ट में **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के मामले में हिरासत के अनुक्रम का विवरण** भी शामिल होना चाहिए [धारा 193(3)(i)(झ)]।
- **अभियुक्तों को प्रतियों की आपूर्ति** की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए, धारा 193(8) पेश की गई है, जो **पुलिस अधिकारी को पुलिस रिपोर्ट की उतनी संख्या में प्रतियां प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार बनाती है, साथ ही सूचीबद्ध अन्य दस्तावेज अभियुक्त व्यक्तियों को आपूर्ति के लिए आरोप पत्र दाखिल करते समय मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना आवश्यक है।**
- इसके अलावा, दस्तावेजों की आपूर्ति की इस प्रक्रिया को नागरिक अनुकूल और तकनीकी रूप से अनुकूल बनाने के लिए, **इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से दस्तावेजों की आपूर्ति को शामिल किया गया** है।

## सम्मन की प्रक्रिया

- **धारा 63 समन जारी करने** और उसकी सेवा के लिए प्रौद्योगिकी अनुकूलता का परिचय देती है। न्यायालय अब न्यायालय की मुद्रा या डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित **इलेक्ट्रॉनिक रूप में समन** जारी कर सकता है।
- इसके अलावा, धारा 70 **इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से समन की सेवा** की अनुमति देती है। प्रक्रिया को प्रभावी, पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से **धारा 64** में पुलिस थाने एवं **न्यायालय में रजिस्टर संधारित करने** हेतु संबंधित व्यक्ति का पता, ईमेल पता, फोन नंबर आदि रखने का प्रावधान किया गया है।
- **धारा 66 में**, लिंग तटस्थता का परिचय दिया गया है और महिलाओं को सम्मनित व्यक्ति की ओर से सम्मन की सेवा के उद्देश्य से परिवार के वयस्क सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। 'कुछ वयस्क पुरुष सदस्य' के पुराने संदर्भ को 'कुछ वयस्क सदस्य' से बदल दिया गया है।
- प्रक्रिया जारी करने से संबंधित धारा 227 में, समन और वारंट इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जारी किए जा सकते हैं।

# उद्घोषित अपराधी

- **तीन महत्वपूर्ण परिवर्तन**
  - **'उद्घोषित अपराधी' का दायरा बढ़ाना-** पहले किसी व्यक्ति को केवल कुछ धाराओं के तहत ही 'उद्घोषित अपराधी' घोषित किया जा सकता था। यहां तक कि बलात्कार, तस्करी आदि जैसे जघन्य अपराध भी इस श्रेणी में शामिल नहीं थे। धारा 84(4) में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए गए हैं जहां यह प्रावधान किया गया है कि उन सभी अपराधों में उद्घोषित अपराधी घोषित किया जा सकता है जिनमें 10 साल या उससे अधिक की सजा, या आजीवन कारावास, या मौत की सजा हो सकती है। (इसमें बीएनएस, 2023 के तहत 100 से अधिक अपराध शामिल होंगे)
  - **संपत्ति की ज़ब्ती और कुर्की-** बीएनएसएस की नई शुरू की गई धारा 86 में पुलिस अधीक्षक के पद से अन्यून पुलिस अधिकारी भारत के बाहर अनुबंधित राज्य में किसी अदालत/प्राधिकरण से सहायता की प्रक्रिया शुरू करने के लिए न्यायालय से किसी उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए लिखित अनुरोध कर सकता है।
  - **अनुपस्थिति में विचारण - धारा 356**

# कार्यवाही की शुरुआत और परीक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन

- **पुलिस रिपोर्ट, दस्तावेज आदि की आपूर्ति-** धारा 230 में अभियुक्त की पेशी/उपस्थिति की तिथि से 14 दिन के भीतर आपूर्ति की जायेगी। इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से इसकी आपूर्ति को शामिल करके दस्तावेजों की ऐसी आपूर्ति को तकनीकी रूप से भी अनुकूल बनाया गया है।
- भारी भरकम दस्तावेज़ों के मामले में, प्रतियां इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं। इसी प्रकार किसी परिवाद पर शुरू किए गए सत्र विचारणीय मामलों में, बयानों और दस्तावेजों की प्रतियां धारा 231 में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रस्तुत की जा सकती हैं।
- **मामलों की सत्र सुपुर्दगी** में देरी को संबोधित करने के लिए, धारा 232 में कहा गया है कि कार्यवाही **मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लेने की तारीख से 90 दिनों के भीतर** पूरी की जानी चाहिए। लिखित में कारण दर्ज करते हुए इस अवधि को 180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। **इसके अलावा, आरोपी या पीड़ित द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर कोई भी आवेदन सत्र न्यायालय को भी भेजा जाएगा।**
- देरी को कम करने और सत्र मामलों में त्वरित सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए, **धारा 250 आरोपी को उन्मोचन आवेदन दाखिल करने के लिए सत्र सुपुर्दगी की तारीख से 60 दिन की अवधि का आदेश देती है।**
- इसके अतिरिक्त, धारा 251 **आरोप पर पहली सुनवाई से आरोप तय करने के लिए 60 दिन की समयसीमा निर्धारित** करके इस प्रयास को सुदृढ़ करती है। दक्षता बढ़ाने के लिए, आरोपी व्यक्ति से आरोपों को संप्रेषित करने और समझाने के लिए ऑडियो-वीडियो साधनों का उपयोग शुरू किया गया है [धारा 251(2)]।
- प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आपराधिक कार्यवाही में तेजी लाने के लिए**, धारा 254** गवाहों, पुलिस अधिकारियों, लोक सेवकों या विशेषज्ञों के साक्ष्य या बयानों को अंकित करने के लिए सत्र मामलों में **ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों** के उपयोग की अनुमति देती है। वारंट-मामलों की सुनवाई के लिए धारा 265 में एक समान प्रावधान शामिल है, जो गवाहों की जांच के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग को सक्षम बनाता है।

# कार्यवाही की शुरुआत और परीक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन

- **सत्र मामलों में निर्णय देने के लिए समय-सीमा निर्धारित** की गई है। धारा 258 निर्णय देने के लिए बहस के समापन की तारीख से 30 दिनों की अवधि का प्रावधान करती है। लिखित रूप में कारण दर्ज करते हुए ऐसी अवधि को 45 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा, धारा 392(1) में प्रावधान है कि किसी भी आपराधिक अदालत में प्रत्येक मुकदमे में फैसला मुकदमा समाप्त होने के **45 दिनों के भीतर** सुनाया जाएगा। धारा 392 में यह भी प्रावधान है कि न्यायालय फैसले की तारीख से **7 दिनों** के भीतर इसकी प्रति पोर्टल पर अपलोड करेगा।
- **वारंट मामलों** से निपटने वाली बीएनएसएस की **धारा 262** में, **आरोपी द्वारा डिस्चार्ज आवेदन दाखिल करने की समय अवधि** दस्तावेजों की **आपूर्ति की तारीख से 60 दिन** निर्धारित की गई है। इसी तरह, धारा 263 में कहा गया है कि आरोप पर पहली **सुनवाई की तारीख से 60 दिवस के भीतर आरोप तय** किए जाने चाहिए।
- **धारा 265 और 266** में जो अभियोजन और बचाव के लिए साक्ष्य से संबंधित हैं, **एक गवाह की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित निर्दिष्ट स्थान पर ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करने की अनुमति** है।
- **धारा 269(7)** में, यदि अवसर देने के बावजूद और सभी उचित उपाय करने के बाद भी अभियोजन पक्ष के गवाह की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो यह माना जाएगा कि उपलब्ध नहीं होने के कारण ऐसे गवाह की जांच नहीं की गई है ताकि मजिस्ट्रेट अभियोजन बंद कर सके। साक्ष्य और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर मामले को आगे बढ़ाएं।

## कार्यवाही की शुरुआत और परीक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन

- न्यायपालिका पर बोझ को कम करने और **छोटे और कम गंभीर मामलों में मुकदमे की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, धारा 283 छोटे और कम गंभीर अपराधों** (जैसे चोरी, चोरी की संपत्ति प्राप्त करना या बनाए रखना, घर में अतिक्रमण, शांति भंग करना, आपराधिक धमकी, आदि) के लिए संक्षिप्त विचारण को अनिवार्य बनाती है। .).
- ऐसे मामलों में जहां सजा 3 साल (पहले 2 साल तक था), मजिस्ट्रेट कारणों को लिखित रूप में दर्ज करके और आरोपी को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ऐसे मामलों की संक्षिप्त विचारण कर सकता है।
- धारा 290 में **प्ली बार्गेनिंग के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए एक समय अवधि** निर्धारित की गई है। कोई आरोपी व्यक्ति आरोप तय होने की तारीख से **30 दिनों** के भीतर ऐसा आवेदन कर सकता है। इसके अलावा, **'पारस्परिक संतोषप्रद निपटारा'** की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए **60 दिनों** की समयावधि निर्धारित की गई है।
- धारा 293 दलील **सौदेबाजी की सजा में उदार और पुनर्वासात्मक दृष्टिकोण** अपनाती है। **पहली बार अपराधियों** से जुड़े मामलों में, जहां न्यूनतम सजा निर्धारित है, अदालत **न्यूनतम सजा के एक-चौथाई** के बराबर सजा दे सकती है। इसके अलावा, ऐसे मामलों में जहां कोई न्यूनतम सजा निर्धारित नहीं है, पहली बार अपराधी को **निर्धारित सजा के छठे हिस्से** के बराबर सजा मिल सकती है।

# कार्यवाही की शुरुआत और परीक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन

- **धारा 272** के तहत, किसी **परिवाद पर कायम मामले में**, यदि परिवादी **तीस दिन का नोटिस** देने के बाद भी अनुपस्थित रहता है, तो मजिस्ट्रेट को आरोपी को आरोप मुक्त करने का अधिकार है। इसका उद्देश्य शिकायत मामलों में देरी को कम करना और झूठी या तुच्छ शिकायतों के दायरे को सीमित करना है।
- **समन मामलों में**, यदि आरोप निराधार प्रतीत होता है तो **आरोपी व्यक्ति को आरोप उन्मोचित** करने की अनुमति देने के लिए धारा 274 में एक परन्तुक जोड़ा गया है।
- धारा 308 **इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से,** विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किसी भी स्थान पर उपलब्ध ऑडियो-वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) सुविधाओं का उपयोग करके आरोपी से पूछताछ करने का अधिकार देती है। इसे लागू करते हुए, धारा 316 यह निर्धारित करती है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से परीक्षा देने वाले आरोपी के **हस्ताक्षर 72 घंटे की समय सीमा के भीतर** प्राप्त किए जाने चाहिए।
- धारा 392 में, **आरोपी व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो निर्णय सुनने के लिए ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पेश किया जा सकता है।**

# कार्यवाही की शुरुआत और परीक्षण प्रक्रिया में परिवर्तन

- धारा 330 में, **किसी भी दस्तावेज़ की वास्तविकता को चुनौती देने के लिए तीस दिनों की समय सीमा निर्धारित** की गई है, जिसमें न्यायालय के विवेक पर छूट दी जा सकती है। इसके अलावा, विशेषज्ञों को न्यायालय के समक्ष बुलाए जाने की छूट है, जब तक कि ऐसे विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर मुकदमे के किसी भी पक्ष द्वारा विवाद न किया जाए।
- आपराधिक कार्यवाही को और अधिक कुशल बनाने के लिए, धारा 336 में प्रावधान है कि जहां किसी **लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी द्वारा तैयार किए गए किसी दस्तावेज़ या रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाता है, तो न्यायालय ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के कार्यालय में उत्तराधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा**। इस प्रक्रिया को इस तरह के बयान के उद्देश्य से ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा साक्ष्य दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
- बार-बार स्थगन के कारण होने वाली देरी को कम करने के लिए, धारा 346 एक रूपरेखा स्थापित करती है जिसमें न्यायालय, विरोधी पक्ष की आपत्तियों पर विचार करने के बाद, जब परिस्थितियाँ वास्तव में **किसी पक्ष के नियंत्रण से परे हों, कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने के बाद दो से अधिक स्थगन नहीं दे सकता** है

# पीड़ित केंद्रित परिवर्तन

- बीएनएसएस ने धारा 173(2) में **पीड़ित को मुफ्त में एफआईआर की प्रति प्राप्त करने का अधिकार** प्रावधानित किया।
- **धारा 193(3)(ii)** में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी को जांच के 90 दिनों के भीतर सूचना देने वाले या पीड़ित को जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना होगा। पीड़ित/सूचनाकर्ता तक यह बात पहुंचाने के लिए प्रौद्योगिकी को संचार के एक वैध माध्यम के रूप में शामिल किया गया है।
- **धारा 230** में मजिस्ट्रेट को **पुलिस रिपोर्ट** और प्राप्त अन्य दस्तावेज 14 दिन के भीतर पीड़ित को उपलब्ध कराने होते हैं।
- धारा 360 के तहत **अभियोजन वापस लेने** से पहले पीड़ित को अदालत के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए।
- धारा 398 प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा **गवाह सुरक्षा योजना** की तैयारी और अधिसूचना को अनिवार्य बनाती है।
- **धारा 184(6)** में प्रावधान है कि पंजीकृत चिकित्सक बलात्कार की पीड़िता की जांच की रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर जांच अधिकारी को भेजेगा, जो इसे मजिस्ट्रेट को भेजेगा।

# जमानत संबंधी परिवर्तन

- जमानत, जमानत-पत्र और बंधपत्र को परिभाषित किया गया है।
- विचाराधीन कैदियों को जमानत देने के लिए **धारा 479** के प्रावधान को शिथिल और उदार बनाया गया है। **पहली बार के अपराधियों** के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है, जो अब अदालत द्वारा बांड पर रिहा किए जाने के पात्र हैं यदि वे उस अपराध के लिए निर्दिष्ट **कारावास की अधिकतम अवधि के एक तिहाई तक की अवधि** के लिए हिरासत में रह चुके हैं।
- **जेल अधीक्षक को उस अदालत में जमानत के लिए आवेदन** करना होगा जहां कोई विचाराधीन व्यक्ति अधिकतम अवधि का आधा या एक तिहाई पूरा कर लेता है।
- प्रावधान के तहत एक से अधिक अपराध या कई मामलों में शामिल विचाराधीन कैदी की रिहाई को सख्त बनाया गया है।
- इसके अलावा, आजीवन कारावास या मौत की सजा को इस प्रावधान के दायरे से बाहर रखा गया है। दोषमुक्ति के मामलों में जमानत की प्रक्रिया को और सरल बनाया गया है।
- **धारा 483** में दोषमुक्त व्यक्तियों के लिए ज़मानत की अवधि में छूट दी गई। बदले हुए प्रावधान के तहत निजी मुचलके पर रिहाई को भी जोड़ा गया है।

# दया याचिकाएँ और सज़ा में बदलाव

- **धारा 472** में राष्ट्रपति और राज्यपाल के समक्ष दायर **दया याचिकाओं के समयबद्ध निस्तारण** का नया प्रावधान किया गया है।
- यह प्रावधान एक समय-सीमा निर्धारित करता है, जिसके तहत ऐसी याचिकाएं राज्यपाल के समक्ष 30 दिनों के भीतर और राष्ट्रपति के समक्ष 60 दिनों के भीतर दायर की जानी आवश्यक हैं।
- जेल अधीक्षक को अब दोषियों को उनकी मौत की सजा की पुष्टि या उनकी अपील खारिज होने या विशेष अनुमति अपील की समीक्षा के बारे में सूचित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- इसके अतिरिक्त, जेल अधीक्षक को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि प्रत्येक दोषी, विशेष रूप से कई दोषियों से जुड़े मामलों में, 60 दिनों के भीतर अपनी दया याचिका प्रस्तुत करे।
- **धारा 474** किसी भी **सज़ा को जुर्माने आदि में कम करने** की मौजूदा धारा में संशोधन करती है। धारा में प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार, सजा पाने वाले व्यक्ति की सहमति के बिना, सजा कम कर सकती है-
  - मौत की सज़ा, आजीवन कारावास;
  - आजीवन कारावास की सज़ा, सात वर्ष से अन्यून अवधि के कारावास की सज़ा;
  - सात वर्ष या अधिक के कारावास की सजा; कम से कम तीन वर्ष की अवधि के कारावास के लिए
  - सात वर्ष से कम की सजा को जुर्माने से।
  - कठोर कारावास की सजा को साधारण कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है।

# अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन

- बीएनएसएस की धारा 15 के तहत, राज्य सरकार अब किसी भी पुलिस अधिकारी को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने के लिए अधिकृत है, जो पुलिस अधीक्षक या उसके समकक्ष रैंक से कम न हो।
- जिला मजिस्ट्रेट/उपखण्ड मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट से संबंधित धारा 162 में पुलिस उपायुक्त को जोड़ा गया है जो लोक न्यूसेंस के मामले में प्रक्रिया से निपट सकते हैं।
- पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश (अध्याय X) के अध्याय में, बीएनएसएस, 2023 की धारा 145 में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिसके तहत आश्रित के पिता या माता, जहां वह रहते है, के मामले में, भरण-पोषण के आदेश के लिए कार्यवाही की जा सकती है। इससे सीआरपीसी में मौजूद वह कठिनाई दूर हो गई जिसमें माता-पिता के मामले में कार्यवाही शुरू करने का स्थान उनके बेटे का निवास स्थान था।
- बीएनएसएस की धारा 194(2) आत्महत्या पर रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट या उप-विभागीय मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने के लिए 24 घंटे की समय अवधि प्रदान करती है।
- गवाह की आसानी और सुविधा के लिए और पुलिस द्वारा अनुचित उत्पीड़न को रोकने के लिए, धारा 195 के प्रावधान में यह प्रावधान है कि कोई भी पुरुष व्यक्ति पंद्रह वर्ष से कम या 60 वर्ष से अधिक (65 वर्ष पहले) की आयु का नहीं होगा या कोई महिला या मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति या गंभीर बीमारी वाले व्यक्ति को उस स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी जहां ऐसा पुरुष व्यक्ति या महिला रहता है। ऐसे मामले में, जहां ऐसा व्यक्ति पुलिस स्टेशन में उपस्थित होने का इच्छुक है, उन्हें ऐसा करने की अनुमति दी जा सकती है।
- भारत के बाहर किए गए अपराध के मामले में, उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार भी धारा 209 में शामिल है जहां अपराध दर्ज किया गया है। इसके अलावा, भारत के बाहर किए गए अपराधों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होने के मामले में, बयान या प्रदर्श इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं।
- धारा 530 में व्यवस्था की गई है कि सभी परीक्षणों, पूछताछ और कार्यवाही को प्रौद्योगिकी के अनुकूल बनाया जा सकता है और इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग या ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक साधनों के उपयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मोड में आयोजित किया जा सकता है।

# अध्याय – 1

# प्रारम्भिक

- धारा 01 **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** में संहिता का नाम एवं अध्याय का क्रमांक परिवर्तित है शेष अन्य कोई परिवर्तन नहीं है ।

- **धारा 2 परिभाषाएं** भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में नई परिभाषाओं को उद्धरित किया गया है, जिसमें [धारा 2(1)(क)] **'श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों**', [धारा 2(1)(ख)] **'जमानत'** , [धारा 2(1)(घ)] **जमानत-पत्र,** [धारा 2(1)(ङ)] **'बंध- पत्र',** [धारा 2(1)(झ)] **'इलेक्ट्रॉनिक संसूचना'** है ।

- **2(1)(क) "श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक" से अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत वीडियो कांफ्रेसिंग के प्रयोजनों के लिए, पहचान की आदेशिकाओं को अभिलिखित करना, तलाशी और अभिग्रहण या साक्ष्य, इलैक्ट्रानिक संसूचना का पारेषण और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए किसी संसूचना युक्ति का प्रयोग और ऐसे अन्य साधन भी हैं, जिसे राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे;**

- **2(1)(ख) "जमानत" से किसी अधिकारी या न्यायालय द्वारा अधिरोपित कतिपय शर्तों पर किसी अपराध के कारित किए जाने के अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति द्वारा किसी बंधपत्र या जमानतपत्र के निष्पादन पर विधि की अभिरक्षा से ऐसे व्यक्ति का छोड़ा जाना अभिप्रेत है;**

- **2(1)(घ) "जमानतपत्र" से प्रतिभूति के साथ छोड़े जाने के लिए कोई वचनबंध अभिप्रेत है;**

- **2(1)(ङ) "बंधपत्र" से प्रतिभूति के बिना छोड़े जाने के लिए कोई वैयक्तिक बंधपत्र या वचनबंध अभिप्रेत है;**

- **2(1)(झ) "इलैक्ट्रानिक संसूचना" से किसी इलैक्ट्रानिक युक्ति, जिसके अंतर्गत टेलीफोन, मोबाइल फोन या अन्य बेतार दूरसंचार युक्ति या कम्प्यूटर या श्रव्य दृश्य प्लेयर या कैमरा या कोई अन्य इलैक्ट्रानिक युक्ति या इलेक्ट्रानिक प्ररूप, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, सम्मिलित है, द्वारा किसी लिखित, मौखिक, सचित्र सूचना या वीडियो अंतर्वस्तु की संसूचना अभिप्रेत है, जिसे (चाहे किसी एक व्यक्ति से अन्य व्यक्ति को या एक युक्ति से किसी अन्य युक्ति को या किसी व्यक्ति से किसी युक्ति को या किसी युक्ति से किसी व्यक्ति को) पारेषित या अंतरित किया जाता है;**

- धारा 2 में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(च) भारत, 2(ट) महानगर क्षेत्र, 2(थ) प्लीडर, 2(न) विहित की परिभाषाओं को हटा दिया गया है।

इसके अलावा, आरोपी व्यक्ति पर औपचारिक रूप से आरोप लगाने की आवश्यकता को समाप्त करके **'पीड़ित'** की परिभाषा [धारा 2(1)(म)] को व्यापक बना दिया गया है।

- धारा 2(1)(म) "पीड़ित" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोप के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है और इसके अन्तर्गत ऐसे पीड़ित का संरक्षक या विधिक वारिस भी है;
- (द0प्र0सं0 की धारा 2(बक) में अंकित वाक्यांश जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है को हटा दिया गया है) शेष कोई परिवर्तन नहीं है
- **धारा 2(1)ठ अन्वेषण की परिभाषा में स्पष्टीकरण- जहां किसी विशेष अधिनियम के उपबंधों में से कोई भी इस संहिता के उपबंधों से असंगत है, वहां विशेष अधिनियम के उपबंध अभिभावी होंगे; जोडा गया है। अन्य कोई परिवर्तन नहीं है।**

- धारा 2 की उपधारा (2) में **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 2)** को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है।
- **धारा 3 निर्देशों का अर्थ लगाना** में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 3 में अंकित महानगर मजिस्ट्रेट, मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, तृतीय वर्ग मजिस्ट्रेट, प्रजीडेंसी मजिस्ट्रेट, मुख्य प्रेजीडेंसी मजिस्ट्रेट को हटाकर उनसे जुडे वाक्यांशो को भी हटा दिया गया है , शेष कोई परिवर्तन नहीं है।
- **धारा 4 भारतीय न्याय संहिता, 2023 और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण** में संहिता का नाम परिवर्तित है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 04)
- **धारा 5 व्यावृत्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 05)

# अध्याय – 2
# दंड न्यायालयों और कार्यालयों का गठन

- **धारा 6 दंड न्यायालयों के वर्ग** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 06)
- **धारा 7 प्रादेशिक खंड** में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 7 की उपधारा (1) में से परन्तुक प्रत्येक महानगर क्षेत्र उक्त प्रयोजन के लिए एक पृथक खण्ड और जिला होगा।, को हटा दिया गया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 07)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दण्ड प्रक्रिया संहिता धारा 8 महानगर क्षेत्र को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है।
- **धारा 8 सेशन न्यायालय** में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 9 में उल्लिखित सहायक सेशन न्यायाधीश को हटा दिया गया है।
- **उपधारा (7) सेशन न्यायाधीश समय-समय पर ऐसे अपर सेशन न्यायाधीशों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में इस संहिता से संगत आदेश दे सकेगा।।**
- **उपधारा (8) सेशन न्यायाधीश, अपनी अनुपस्थिति में या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में, किसी अति- आवश्यक आवेदन का अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा या यदि कोई अपर सेशन न्यायाधीश न हो तो, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा निपटाए जाने के लिए भी व्यवस्था कर सकता है; और यह समझा जाएगा कि ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे आवेदन पर कार्यवाही करने की अधिकारिता है।** जोडी गयी है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 09)

- **धारा 9 न्यायिक मजिस्ट्रेटों के न्यायालय** में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में उल्लिखित महानगर क्षेत्र पद को हटा दिया गया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दण्ड प्रक्रिया की **धारा 10 सहायक सेशन न्यायाधीशों का अधीनस्थ होना**, को हटा दिया गया है।
- **धारा 10 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, आदि** में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 12 में उल्लिखित महानगर क्षेत्र पद को हटा दिया गया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है।
- **धारा 11 विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट** में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 13 की उपधारा (3) उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है।, को हटा दिया गया है शेष कोई परिवर्तन नहीं है।
- **धारा 12 न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता** में केवल धाराओं का क्रमांक परिवर्तन हुआ है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 14)
- **धारा 13 न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 15)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धाराओं **धारा 16 - महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय , धारा 17 - मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट , धारा 18 - विशेष महानगर मजिस्ट्रेट , धारा 19 - महानगर मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना**, हटा दिया गया है।

- **धारा 14 कार्यपालक मजिस्ट्रेट** में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 20 में उल्लिखित महानगर क्षेत्र पद को हटा दिया गया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है।
- **धारा 15 विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट** - राज्य सरकार, विशिष्ट क्षेत्रों के लिए या विशिष्ट कृत्यों का पालन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट या **ऐसे किसी पुलिस अधिकारी को, जो पुलिस अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो या समतुल्य को**, जो विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट के रूप में ज्ञात होंगे, इतनी अवधि के लिए जितनी वह उचित समझें, नियुक्त कर सकेगी और इस संहिता के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त की जा सकने वाली शक्तियों में से ऐसी शक्तियां, जिन्हें वह उचित समझे, इन विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को प्रदत्त कर सकेगी।, जोडा गया है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 21)
- **धारा 16 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 22)
- **धारा 17 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना** में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 23 की उपधारा (1) में अंकित अपर जिला मजिस्ट्रेट से भिन्न पद को हटा दिया गया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 23)
- **धारा 18 लोक अभियोजक** में उपधारा (1) प्रत्येक उच्च न्यायालय के लिए, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार उस उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, यथास्थिति, केन्द्रीय या राज्य सरकार की ओर से ऐसे न्यायालय में किसी अभियोजन, अपील या अन्य कार्यवाही के संचालन के लिए एक लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक अपर लोक अभियोजक भी नियुक्ति कर सकेगी :

**परंतुक राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली के संबंध में, केंद्रीय सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात्, इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति करेगी।, उपधारा 6(ख) में विशेष लोक अभियोजक पद को जोडा गया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है।** (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 24)

धारा 19 **सहायक लोक अभियोजक की उपधारा (3) - उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना,** जहां कोई सहायक लोक अभियोजक किसी विशिष्ट मामले के प्रयोजनों के लिए उपलब्ध नहीं है, वहां जिला मजिस्ट्रेट, **राज्य सरकार को चौदह दिन की सूचना देने के पश्चात्,** किसी अन्य व्यक्ति को उस मामले का भारसाधक सहायक लोक अभियोजक नियुक्त कर सकता है: परंतु कोई पुलिस अधिकारी, **सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा,** को जोडा गया है **तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 25 की उपधारा (2) -**जैसा उपधारा (3) में उपबंधित है उसके सिवाय कोई पुलिस अधिकारी सहायक लोक अभियोजक नियुक्त होने का पात्र नहीं होगा।, को हटा दिया है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 25)

- धारा 20 **अभियोजन निदेशालय उपधारा (1)ख- प्रत्येक जिले के जिला अभियोजन निदेशालय में उतने अभियोजन उप-निदेशक और अभियोजन सहायक निदेशक हो सकेंगे, जैसा वह ठीक समझे।** तथा

- उपधारा (2)(क) अभियोजन निदेशक या अभियोजन उप-निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम-से-कम पंद्रह वर्ष **(द0प्र0सं0 की उपधारा (2) में अंकित दस वर्ष के स्थान पर)** तक व्यवसाय में रहा है सेशन न्यायाधीश है या रहा है; जोडा गया है तथा द0प्र0सं0 की उपधारा (2) में अंकित और ऐसी नियुक्ति उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से की जायेगी; को हटा दिया गया है और **उपधारा (2)ख - अभियोजन सहायक निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा यदि वह अधिवक्ता के रूप में कम से कम सात वर्ष तक व्यवसाय में रहा हो या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट रहा हो।** को जोडा गया है।

- **उपधारा** (4) प्रत्येक अभियोजन उप-निदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक, अभियोजन निदेशक के अधीनस्थ होगा; **और प्रत्येक अभियोजन सहायक निदेशक, अभियोजन उप-निदेशक के अधीनस्थ होगा।**

- **उपधारा (7) अभियोजन निदेशक की शक्तियां तथा कृत्य ऐसे मामलों का कार्यवाहियों के शीघ्र निपटारे और अपील फाइल करने पर राय देने के लिए मानीटर करना होगा, जिसमें अपराध दस वर्ष या उससे अधिक या आजीवन कारावास या मृत्यु से दण्डनीय है।**

- **उपधारा(8) अभियोजन उप-निदेशक को शक्तियां और कृत्य ऐसे मामलों में जिनमें अपराध सात वर्ष या उससे अधिक के लिए दंडनीय है, किंतु दस वर्ष कम हो, उनके त्वरित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस रिपोर्ट की परीक्षा करना और संवीक्षा करना तथा मानीटर करना होगा।**

- **उपधारा(9) अभियोजन सहायक निदेशक के कृत्य ऐसे मामलों का मानीटर करना होगा, जिनमें कोई अपराध सात वर्ष से कम के लिए दंडनीय है।**

- **उपधारा(10) उपधारा (7), उपधारा (8) और उपधारा (९) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अभियोजन का निदेशक, उप-निदेशक या सहायक निदेशक इस संहिता के अधीन सभी कार्रवाइयों के लिए संव्यवहार करने की शक्ति होगी और उसके लिए दायी होंगे।**

- **उपधारा(11) अभियोजन निदेशक, अभियोजन उप-निदेशक या अभियोजन सहायक निदेशक की अन्य शक्तियां तथा कृत्य और वह क्षेत्र, जिसके लिए प्रत्येक नियुक्त राज्य द्वारा निर्दिष्ट**

# अध्याय - 3
## न्यायालयों की शक्ति

- **धारा 21 न्यायालय, जिनके द्वारा अपराध विचारणीय है** में संहिता का नाम एवं धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समवर्ती धारा 26)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 27 किशोरों के मामलों में अधिकारिता को हटा दिया गया है।
- **धारा 22 दंडादेश, जो उच्च न्यायालय और सेशन न्यायाधीश दे सकेंगे,** में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 28 की उपधारा (3) सहायक सेशन न्यायाधीश मृत्यु या आजीवन कारावास या दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास के दण्डादेश के सिवाय कोई ऐसा दण्डादेश दे सकता है जो विधि द्वारा प्राधिकृत है।, को हटा दिया गया है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समवर्ती धारा 28)
- **धारा 23 दंडादेश, जो मजिस्ट्रेट दे सकेंगे** की उपधारा (2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या **पचास हजार रुपए से** (द0प्र0सं0 की उपधारा (2) में अंकित दस हजार रूपये के स्थान पर) अनधिक जुनि का, या दोनों का, **या सामुदायिक सेवा** का दंडादेश दे सकेगा।
- उपधारा (3) द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट का न्यायालय, एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए कारावास का या **दस हजार रुपए से** (द0प्र0सं0 की उपधारा (2) में अंकित पांच हजार रूपये के स्थान पर) अनधिक जुर्माने का, या दोनों का**, या सामुदायिक सेवा** का, दंडादेश दे सकेगा।

**स्पष्टीकरण "सामुदायिक सेवा" से ऐसा कार्य अभिप्रेत है, जिसको किसी दोषसिद्ध व्यक्ति को दण्ड के ऐसे रूप में, जो समुदाय के लाभ के लिए हो, करने के लिए न्यायालय आदेश करे, जिसके लिए वह किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं होगा।,** को जोडा गया है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समवर्ती धारा 29)

- धारा 24 **जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास का दंडादेश** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समवर्ती धारा 30)
- धारा 25 **एक ही विचारण में कई अपराधों के लिए दोषसिद्ध होने के मामलों में दंडादेश**
- उपधारा (1) जब कोई व्यक्ति एक हो विचारण में दो या अधिक अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया जाता है तब, **न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 9 के** उपबंधों के अधीन रहते हुए, उसे ऐसे अपराधों के लिए विहित विभिन्न दण्डों में से उन दण्डों के लिए, जिन्हें देने के लिए ऐसा न्यायालय सक्षम है, दण्डादेश दे सकेगा; और न्यायालय, अपराधों की गम्भीरता पर विचार करते हुए, ऐसे दण्डादेश साथ-साथ या क्रमवर्ती रूप से जंगमने का आदेश देगा।
- उपधारा (2)क किसी भी दशा में, ऐसा **व्यक्ति बीस वर्ष से अधिक की** (दं0प्र0सं0 की धारा 31 की उपधारा 2(क) में 14 वर्ष का प्रावधान था) अवधि के कारावास के लिए दंडादिष्ट नहीं किया जाएगा; तथा संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तन हुआ है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समवर्ती धारा 31)
- **धारा 26 शक्तियां प्रदान करने का ढंग** में कोई परिवर्तन नहीं है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समवर्ती धारा 32)
- **धारा 27 नियुक्त अधिकारियों की शक्तियां** में कोई परिवर्तन नहीं है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समवर्ती धारा 33)
- **धारा 28 शक्तियों को वापस लेना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समवर्ती धारा 34)
- **धारा 29 न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की शक्तियों का उनके पद-उत्तरवर्तियों द्वारा प्रयोग किया जा सकना** में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 35 की उपधारा (2) में अंकित अपर या सहायक सेशन न्यायाधीश पद को हटा दिया गया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समवर्ती धारा 35)

# अध्याय - 4
# वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां और मजिस्ट्रेट तथा पुलिस को सहायता

- धारा 30 **वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की शक्तियां** में कोई परिवर्तन नहीं है। (दं0प्र0सं0 की धारा 36)
- **धारा 31 जनता कब मजिस्ट्रेट और पुलिस की सहायता करेगी** में कोई परिवर्तन नहीं है। (दं0प्र0सं0 की धारा 37)
- **धारा 32 पुलिस अधिकारी से भिन्न ऐसे व्यक्ति को सहायता जो वारंट का निष्पादन कर रहा है** में कोई परिवर्तन नहीं है। (दं0प्र0सं0 की धारा 38)
- **धारा 33 कुछ अपराधों की सूचना जनता द्वारा दिया** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (दण्ड प्रक्रिया संहिता की समवर्ती धारा 39)
- **धारा 34 ग्राम के मामलों के संबंध में नियोजित अधिकारियों का कतिपय रिपोर्ट करने का कर्तव्य** की उपधारा (2)(ii) "उद्घोषित अपराधी" पद के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है, जिसे भारत के किसी ऐसे राज्यक्षेत्र में, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, किसी न्यायालय या प्राधिकारी ने किसी ऐसे कार्य के बारे में, अपराधी उद्घोषित किया है, जो यदि उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर इस संहिता का विस्तार है, किया जाता तो **भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अधीन दस वर्ष या उससे अधिक के कारावास या आजीवन कारावास या मृत्यु से दंडनीय** होगा; (दं0प्र0सं0 की धारा 40(2)(ii) में भा0द0सं0 की धारा 302,304,382, 392 से 399 तक दोनो सहित, 402, 435,436,449,450,457 से 460 तक दोनो सहित में से किसी के अधीन दण्डनीय अपराध होता, के स्थान पर उक्त दण्ड प्रतिस्थापित) जोडा गया है, संहिता का नाम व धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (दं0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 40)

# अध्याय – 5

# व्यक्तियों की गिरफ्तारी

- **धारा 35 पुलिस वारंट के बिना कब गिरफ्तार कर सकेगी की उपधारा** (6) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय सूचना के निबंधनों का अनुपालन करने में असफल रहता है या अपनी पहचान कराने का अनिच्छुक है वहां पुलिस अधिकारी, ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, जो इस निमित्त किसी सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए हों, सूचना में वर्णित अपराध के लिए उसे गिरफ्तार कर सकेगा।

उपधारा (7) कोई भी गिरफ्तारी, ऐसे अपराध के मामले में जो तीन वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय है और ऐसा व्यक्ति जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है या साठ वर्ष से अधिक की उम्र का है, ऐसे अधिकारी की, जो पुलिस उपनिरीक्षक से नीचे की पंक्ति का न हो, की पूर्व अनुमति के बिना नहीं की जाएगी।, को जोडा गया है तथा धारा के क्रमांक परिवर्तित है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 41,41-क)

दं0प्र0सं0 की धारा 41, 41क का उपरोक्त धारा 35 में उपरोक्त वृद्धि के साथ समावेश किया गया है।

- **धारा 36 गिरफ्तारी की प्रक्रिया और गिरफ्तारी करने वाले अधिकारी के कर्तव्य** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 41-ख)

- धारा 37 **पदाभिहित पुलिस अधिकारी** की उपधारा (1) (ख) प्रत्येक जिले और प्रत्येक थाना में एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेगी, जो सहायक पुलिस उपनिरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा, वह गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का नाम और पता के बारे में जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा, अपराध की प्रकृति, जिसके साथ वह आरोपित किया गया है, प्रत्येक थाना और जिला मुख्यालय पर प्रमुख रूप से जिसके अन्तर्गत डिजीटल मोड भी है, प्रदर्शित किया जाएगा , को जोडा गया है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 41-ग)

- **धारा 38 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपनी पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार** में कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 41-घ)

- **धारा 39 नाम और निवास बताने से इंकार करने पर गिरफ्तारी** की उपधारा (2) और (3) में **जमानत-पत्र** पद को जोडा गया है।(द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 42)
- **धारा 40 प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी और ऐसी गिरफ्तारी पर प्रक्रिया** में किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा गिरफ्तारी के मामले में ऐसे गिरफ्तार व्यक्ति को उपधारा (1) में छः घण्टे के भीतर पुलिस अधिकारी के सामने पेश किये जाने या निकटतम पुलिस स्टेशन ले जाने का प्रावधान किया गया है। धाराओं का क्रमांक परिवर्तन है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 43)
- **धारा 41 मजिस्ट्रेट द्वारा गिरफ्तारी** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 44)
- **धारा 42 सशस्त्र बलों के सदस्यों का गिरफ्तारी से संरक्षण** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, शेष कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 45)
- **धारा 43 गिरफ्तारी कैसे की जाएगी** में उपधारा (3) पुलिस अधिकारी, अपराध की प्रकृति और गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए, किसी ऐसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करते समय या न्यायालय के समक्ष ऐसे व्यक्ति को पेश करते समय हथकड़ी का प्रयोग कर सकता है, जो अभ्यासिक या आदतन अपराधी है या अभिरक्षा से निकल भागा है, या जिसने संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, औषध सम्बन्धी अपराध, अस्त्र और शस्त्र पर अवैध कब्जे, हत्या, बलात्संग, अम्ल हमला, सिक्कों और करेंसी नोट का कूटकरण, मानव दव्यापार, बच्चों के विरुद्ध लैंगिक अपराध या राज्य के विरुद्ध असाथ को कारित किया है।, को जोडा गया है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 46)

- **धारा 44 उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है** में कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 47)
- **धारा 45 अन्य अधिकारिताओं में अपराधियों का पीछा करना**में कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 48)
- **धारा 46 अनावश्यक अवरोध न करना**में कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 49)
- **धारा 47 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना** में कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 50)
- **धारा 48 गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की, गिरफ्तारी आदि के बारे में, नातेदार या मित्र को जानकारी देने की बाध्यता** की उपधारा (1) में गिरफ्तार करने वाले प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी को भी जानकारी देने के लिए निर्देशित किया गया है, जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 50-क)
- **धारा 49 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी** में कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 51)
- **धारा 50 आक्रामक आयुधों का अधिग्रहण करने की शक्ति -** वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति, जो इस संहिता के अधीन गिरफ्तारी करता है **गिरफ्तारी के तुरन्त बाद** गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से कोई आक्रामक आयुध, जो उसके शरीर पर हो, ले सकता है और ऐसे लिए गए सब आयुध उस न्यायालय या अधिकारी को परिदत्त करेगा, जिसके समक्ष वह अधिकारी या गिरफतार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए इस संहिता एद्वारा अपेक्षित है। शेष कोई परिवर्तन नहीं है (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 52)

- **धारा 51 पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा-व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा** उपधारा (3) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी देर किए बिना अन्वेषण अधिकारी को परीक्षा रिपोर्ट तुरंत भेजेगा।
- उपधारा 3(ख) "रजिस्ट्रोकृत चिकित्सा व्यवसायो" से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है, जिसके पास **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के अधीन मान्यताप्राप्त कोई चिकित्सीय अहंता है** और जिसका नाम राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर या राज्य चिकित्सा रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया है ।, को जोडा गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है । (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 53)
- **धारा 52 बलात्संग के अपराधी व्यक्ति की चिकित्सा व्यवसायी द्वारा परीक्षा** में कोई परिवर्तन नहीं है । (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 53-क)
- **धारा 53 गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा की उपधारा (1)** जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तब गिरफ्तार किए जाने के तुरंत पश्चात् उसकी केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के सेवाधीन चिकित्सा अधिकारी द्वारा और जहां चिकित्सा अधिकारी उपलब्ध नहीं है, वहां रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी दद्वारा परीक्षा की जाएगी :
- परन्तु यदि चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की यह राय है कि ऐसे व्यक्ति की एक और परीक्षा की जानी आवश्यक है, तो वह ऐसा कर सकेगा : जोडा गया है शेष कोई परिवर्तन नहीं है ।

- **धारा 54 गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त**
- जहां कोई व्यक्ति किसी अपराध को करने के आरोप पर गिरफ्तार किया जाता है और उसकी शिनाख्त किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा ऐसे अपराधों के अन्वेषण के लिए आवश्यक समझी जाती है तो वहां वह न्यायालय, जिसकी अधिकारिता है, पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के निवेदन पर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की, ऐसी रीति से जो न्यायालय ठीक समझता है, किसी अन्य व्यक्ति या किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा शिनाख्त कराने का आदेश दे सकेगा :
- परंतु यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निः शक्त है, तो शनाख्त करने की ऐसी प्रक्रिया मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन होगी जो यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगा कि उस व्यक्ति द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उन पद्धतियों का प्रयोग करते हुए शनाख्त की जाए, जो उस व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हों और शनाख्त प्रक्रिया किसी श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा अभिलिखित की जाएगी। (द0प्र0स0 की धारा 54-क में अंकित गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की शिनाक्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो शिनाख्त किये जाने की वीडियो फिल्म तैयार की जायेगी, के स्थान पर) (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 54-क)

- **धारा 55 जब पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार करने के लिए अपने अधीनस्थ को प्रतिनियुक्त करता है तब प्रक्रिया** में अध्याय एवं धारा का क्रमांक परिवर्तित है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है।
- **धारा 56 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का स्वास्थ्य और सुरक्षा** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 55-क)
- **धारा 57 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का मजिस्ट्रेट या पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के समक्ष ले जाया जाना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 56)
- **धारा 58 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का चौबीस घंटे से अधिक निरुद्ध न किया जाना** कोई पुलिस अधिकारी वारंट के बिना गिरफ्तार गिए गए व्यक्ति को उससे अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखेगा जो उस मामले की सब परिस्थितियों में उचित है तथा ऐसी अवधि, मजिस्ट्रेट के धारा 187 के अधीन विशेष आदेश के अभाव में गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, चौबीस घंटे से अधिक की नहीं होगी, चाहे उसकी अधिकारिता है या नहीं।, को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 57)
- **धारा 59 पुलिस का गिरफ्तारियों की रिपोर्ट करना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 58)
- **धारा 60 पकड़े गए व्यक्ति का उन्मोचन** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 59)
- **धारा 61 निकल भागने पर पीछा करने और फिर पकड़ लेने की शक्ति** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 60)
- **धारा 62 गिरफ्तारी का सर्वथा संहिता के अनुसार ही किया जाना** (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 60क)

# अध्याय – 6

# हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

## क-समन

- **धारा 63 समन का प्रारूप** की उपधारा (ii) किसी गूढ़लेखित या इलैक्ट्रानिक संसूचना के किसी अन्य प्ररूप में होगा और जिस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी या डिजिटल हस्ताक्षर होंगे। , को जोडा गया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 61)

- **धारा 64 समन की तामील कैसे की जाए** की उपधारा (2) यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन को दो प्रतियों में से एक का परिदान या निविदान करके वैयक्तिक रूप से की जाएगी :

  परन्तु न्यायालय की मुद्रा लगा हुआ समन ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करें, इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा तामील किया जा सकेगा।, को जोडा गया, शेष कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 62)

- **धारा 65 निगमित निकायों, फर्मों और सोसाइटियों पर समन की तामील की** उपधारा (1) के स्पष्टीकरण-इस धारा में "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और "निगम" से कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय या सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभिप्रेत है। तथा

- उपधारा (2) किसी फर्म या व्यष्टियों के अन्य संगम पर समन को सामील ऐसे फर्म या संगम के किसी भागीदार पर इसे तामील करके की जा सकती है या ऐसे भागीदार के पते पर रजिस्ट्रीकृत हाक दुवारा भेजे गए पत्र द्वारा की जा सकती है, उस दशा में तामील तच हुई समझी जाएगी, जब डाक से साधारण रूप से यह पत्र पहुंचेगा। जोडा गया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 63)

- **धारा 66 जब समन किए गए व्यक्ति न मिल सकें तब तामील** में कोई परिवर्तन नही हैं। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 64)

- **धारा 67 जब पूर्व उपबंधित प्रकार से तामील न की जा सके तब प्रक्रिया** में केवल धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 65)
- **धारा 68 सरकारी सेवक पर तामील में केवल** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 66)
- **धारा 69 स्थानीय सीमाओं के बाहर समन की तामील** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 67)
- **धारा 70 ऐसे मामलों में और जब तामील करने वाला अधिकारी उपस्थित न हो तब तामील का सबूत** में उपधारा (3) धारा 64 से धारा 71 (दोनों सहित) के अधीन इलेक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से तामील किए गए सभी समन सम्यक् रूप से तामील किए गए समझे जायेंगे और ऐसे समन की एक प्रति प्रमाणित की जाएगी और समन की तामील के सबूत के रूप में रखी जाएगी।, जोडी गयी है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 68)
- **धारा 71 साक्षी पर समन की तामील** (1) इस अध्याय को पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी साक्षी के लिए समन जारी करने वाला न्यायालय, ऐसा समन जारी करने के अतिरिक्त और उसके साथ साथ निदेश दे सकता है कि उस समन की एक प्रति की तामील साक्षी पर, **इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा** या उस स्थान के पते पर, जहां वह मामूली तौर पर निवास करता है या कारबार करता है या अभिलाभार्थ स्वयं काम करता है रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जाए।
- उपधारा (2) जब साक्षी द्वारा हस्ताक्षर की गई तात्पर्थित अभिस्वीकृति या डाक कर्मचारी द्वारा किया गया तात्पर्यित यह पृष्ठांकन कि साक्षी ने समन लेने से इंकार कर दिया है, प्राप्त हो जाता है या **न्यायालय का समाधान इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा धारा 70 की उपधारा (3) के अधीन समन के परिदान के सबूत पर, हो जाता है** तो समन जारी करने वाला न्यायालय यह घोषित कर सकता है कि समन की तामील सम्यक् रूप से कर दी गई है। शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 69)

# ख- गिरफ्तारी का वारंट

- **धारा 72 गिरफ्तारी के वारंट का प्ररूप और अवधि** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 70)
- **धारा 73 प्रतिभूति लिए जाने का निदेश देने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 71)
- **धारा 74 वारंट किसको निदिष्ट होंगे** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 72)
- **धारा 75 वारंट किसी भी व्यक्ति को निदिष्ट हो सकेंगे** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 73)
- **धारा 76 पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 74)
- **धारा 77 वारंट के सार की सूचना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 75)
- **धारा 78 गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का न्यायालय के समक्ष अविलम्ब लाया जाना** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 76)
- **धारा 79 वारंट कहां निष्पादित किया जा सकता है** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 77)
- **धारा 80 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए भेजा गया वारंट** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 78)

- **धारा 81 अधिकारिता के बाहर निष्पादन के लिए पुलिस अधिकारी को निदिष्ट वारंट में कोई परिवर्तन नहीं है।** (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 79)

- **धारा 82 जिस व्यक्ति के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, उसके गिरफ्तार होने पर** प्रक्रिया की उपधारा (2) में उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी पर, पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी के संबंध में और वह स्थान जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति रखा गया है, जिले में पदाभिहित पुलिस अधिकारी तथा अन्य जिले का ऐसा पुलिस अधिकारी जहां गिरफ्तार किया गया व्यक्ति साधारणतया निवास करता है, को तुरंत जानकारी देगा।, को जोडा गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 80)

- **धारा 83 उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 81)

# ग- उद्घोषणा और कुर्की

- **धारा 84 फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा** की उपधारा (4) जहां उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित की गई उद्घोषणा ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध जिसे भारतीय न्याय संहिता, 2023 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन दस वर्ष या अधिक के कारावास से या आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड से दण्डनीय बनाया गया है (द0प्र0सं0 की धारा 82 की उपधारा 4 में अंकित भा0द0सं0 की धारा 302,304,364,367,382,392,393,394,395,396,397,398,399,400,402,436,449,459,460 के स्थान पर उक्त दण्ड को प्रतिस्थापित किया गया है) और ऐसा व्यक्ति उद्घोषणा में अपेक्षित विनिर्दिष्ट स्थान और समय पर उपस्थित होने में असफल रहता है तो न्यायालय, तब ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसी वह ठीक समझता है, उसे उद्घोषित अपराधी प्रकट कर सकेगा और उस प्रभाव की घोषणा कर सकेगा। शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 82)
- **धारा 85 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 83)
- **धारा 86 उद्घोषित व्यक्ति के संपत्ति की पहचान और कुर्की -** न्यायालय, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त की पंक्ति या इससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर अध्याय 8 में उपबंधित प्रक्रिया के अनुसार किसी उद्घोषित व्यक्ति से संबंधित संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए किसी न्यायालय या संबंधित राज्य के किसी प्राधिकारी से सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया का आरंभ करेगी।, (यह धारा नई जोडी गयी है।)
- **धारा 87 कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 84)

- **धारा 88 कुर्क की हुई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 85)
- **धारा 89 कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 86)

# घ- आदेशिकाओं संबंधी अन्य नियम

- **धारा 90 समन के स्थान पर या उसके अतिरिक्त वारंट का जारी किया जाना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 87)
- **धारा 91 हाजिरी के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र लेने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 88)
- **धारा 92 हाजिरी का बंधपत्र या जमानतपत्र भंग करने पर गिरफ्तारी** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 89)
- **धारा 93 इस अध्याय के उपबंधो का साधारणतया समनों और गिरफ्तारी के वारंटों को लागू होना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 90)

# अध्याय – 7

## चीजें पेश करने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं

## क-पेश करने के लिए समन

- **धारा 94 दस्तावेज या अन्य चीज पेश करने के लिए समन** में संचार उपकरणों सहित इलेक्ट्रानिक संचार का समावेश किया गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित किया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 91)
- **धारा 95 पत्रों के संबंध में प्रक्रिया** में द0प्र0सं0 की धारा 92 में अंकित तार पद को हटा दिया गया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 92 पत्रों और तारो के संबंध में प्रक्रिया )

# ख-तलाशी-वारंट

- **धारा 96 तलाशी-वारंट कब जारी किया जा सकता है** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित किया गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 93)
- **धारा 97 उस स्थान की तलाशी, जिसमें चुराई हुई संपत्ति, कूटरचित दस्तावेज आदि होने का संदेह** में उपधारा (2)ख में द0प्र0सं0 की धारा 94 की उपधारा 2(ख) में अंकित धातु टोकन अधिनियम 1889(1889 का 1) के स्थान पर सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) को प्रतिस्थापित किया गया है। संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 94)
- **धारा 98 कुछ प्रकाशनों के समपहत होने की घोषणा करने और उनके लिए तलाशी-वारंट जारी करने की शक्ति** में सहिंता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 95)
- **धारा 99 समपहरण की घोषणा को अपास्त करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 96)
- **धारा 100 सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 97)
- धारा 101 **अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति** में द0प्र0सं0 की धारा 98 में अंकित 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के स्थान पर केवल किसी बालिका पद को प्रतिस्थापित किया गया है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 98)

# ग- तलाशी सम्बन्धी साधारण उपबंध

- धारा 102 **तलाशी-वारंटों का निदेशन आदि** में केवल धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 99)
- **धारा 103 बंद स्थान के भारसाधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे** में केवल धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 100)
- **धारा 104 अधिकारिता के परे तलाशी में पाई गई चीजों का व्ययन** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 101)

# घ-प्रकीर्ण

- **धारा 105 श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से तलाशी और अभिग्रहण का अभिलेख करना -** इस अध्याय या धारा 185 के अधीन किसी संपत्ति, वस्तु या चीज के स्थान की तलाशी करने या कब्जे में लेने की प्रक्रिया जिसके अन्तर्गत ऐसे तलाशी और अभिग्रहण के अनुक्रम में सभी अभिगृहीत वस्तुओं की सूची तैयार करना और साक्षियों द्वारा ऐसी सूची पर हस्ताक्षर करना किसी श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से मोबाइल फोन को वरीयता देते हुए अभिलिखित किया जाएगा और पुलिस अधिकारी देर किए बिना यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को ऐसे अभिलेखन को भेजेगा। (यह धारा नई जोडी गयी है ।)
- **धारा 106 कुछ संपत्ति को अभिगृहीत करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति** में केवल धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 102)

- धारा 107 **संपत्ति की कुर्की, जब्ती या वापसी** - (1) जहां कोई पुलिस अधिकारी को अन्वेषण करते समय यह विश्वास करने का कारण है कि कोई संपत्ति प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी अपराधी क्रियाकलाप के परिणामस्वरूप या किसी अपराध के कारित करने से व्युत्पन्न होती है या प्राप्त की जाती है तो वह, यथास्थिति, पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के अनुमोदन से ऐसी संपत्ति की कुर्की के लिए मामले का विचारण करने के लिए अपराध का संज्ञान करने या सुपुर्द करने के लिए अधिकारिता का प्रयोग करने वाले न्यायालय या मजिस्ट्रेट को, आवेदन दे सकेगा।
- (2) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट को साक्ष्य लेने के पूर्व या पश्चात् यह विश्वास करने का कारण है कि सभी या ऐसी संपत्तियों में से कोई अपराध के लिए प्रयुक्त की जाती है तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति को चौदह दिनों के भीतर कारण दर्शित करने के लिए नोटिस जारी कर सकेगा कि क्यों न कुर्की का आदेश की जाए।
- (3) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति को जारी किया गया नोटिस किसी सम्पत्ति को विनिर्दिष्ट करता है जो कि किसी ऐसे व्यक्ति के निमित्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धारित की जा रही है तो ऐसे नोटिस की एक प्रति ऐसे अन्य व्यक्ति को भी तामील की जा सकेगी।
- (4) न्यायालय या मजिस्ट्रेट, स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् उपधारा (2) के अधीन कारण बताओ नोटिस जारी कर सकेगा और ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपलब्ध तात्विक तथ्य को तथा ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसी संपत्तियों के संबंध में, जो अपराध का आगम होना पाई जाती है, कुर्की का आदेश पारित कर सकेगा :

  परंतु यदि ऐसा व्यक्ति कारण बताओ नोटिस में विनिर्दिष्ट चौदह दिनों की अवधि के भीतर न्यायालय या मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित नहीं होता है या न्यायालय या मजिस्ट्रेट एकपक्षीय आदेश पारित कर सकेगा।
- (5) उपधारा (2) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उक्त उपधारा के अधीन नोटिस के जारी होने से कुर्की या अधिग्रहण का उद्देश्य विफल हो जाएगा तो नयायालय या मजिस्ट्रेट ऐसी संपत्ति की सीधे कुर्की या अधिग्रहण का एक पक्षीय अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा और ऐसा आदेश उपधारा (6) के अधीन आदेश पारित करने तक प्रवृत्त रहेगा।
- (6) यदि न्यायालय या मजिस्ट्रेट यह पाता है कि कुर्की या अभिगृहीत संपत्ति अपराध का आगम है तो न्यायालय या मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को ऐसे व्यक्तियों को, जो ऐसे नहीं समझा जाता है वहां वह उस संपति को किसी ऐसे व्यक्ति की अभिरक्षा में देगा जो यह वचनबंध करते हुए बंधपत्र निष्पादित करे कि वह संपत्ति को जब कभी अपेक्षा की जाए तब न्यायालय के समक्ष पेश करेगा और उसके व्ययन की बाबत न्यायालय के अतिरिक्त आदेशों का पालन करेगा :

  परंतु जहां उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत की गई संपत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या स्वयशील हो और यदि ऐसी संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात है या अनुपस्थित है और ऐसी संपत्ति का मूल्य पांच सौ रुपए से कम है, तो उसका पुलिस अधीक्षक के आदेश से तत्काल नीलामी द्वारा विक्रय किया जा सकेगा धारा 503 और धारा 504 के उपबंध, यथासाध्य निकटतम रूप में, ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों को लागू होंगे। (यह धारा नई जोडी गयी है)

- **धारा 108 मजिस्ट्रेट अपनी उपस्थिति में तलाशी ली जाने का निदेश दे सकता है** में कोई परिवर्तिन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 103)
- **धारा 109 पेश की गई दस्तावेज आदि, को परिबद्ध करने की शक्ति** में कोई परिवर्तिन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 104)
- **धारा 110 आदेशिकाओं के बारे में व्यतिकारी व्यवस्था** में केवल धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 104)

# अध्याय – 8

# कुछ मामलों में सहायता के लिए व्यतिकारी व्यवस्था तथा संपत्ति की कुर्की और समपहरण के लिए प्रक्रिया

- **धारा 111 परिभाषाएं** में कोई परिवर्तिन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105क,ख,ग,घ,ङ)
- **धारा 112 भारत के बाहर किसी देश या स्थान में अन्वेषण के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरोध- पत्र** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 166क)
- **धारा 113 भारत के बाहर के किसी देश या स्थान से भारत में अन्वेषण के लिए किसी न्यायालय या प्राधिकारी को अनुरोध-पत्र** की उपधारा (1)(i) में द0प्र0सं0 की धारा 166ख की उपधारा (1)(i) में अंकित मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट पद को हटा दिया गया है। शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 166ख)
- **धारा 114 व्यक्तियों का अंतरण सुनिश्चित करने में सहायता** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105ख)
- **धारा 115 संपत्ति की कुर्की या समपहरण के आदेशों के संबंध में सहायता** में केवल धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105ग)
- **धारा 116 विधिविरुद्धतया अर्जित संपत्ति की पहचान करना** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105घ)

- **धारा 117 सम्पत्ति का अभिग्रहण या कुर्की** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105ङ)
- **धारा 118 इस अध्याय के अधीन अभिगृहीत या समपहृत संपत्ति का प्रबंध** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105च)
- **धारा 119 संपत्ति के समपहरण की सूचना** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105छ)
- **धारा 120 कतिपय मामलों में संपत्ति का समपहरण** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105ज)
- **धारा 121 समपहरण के बदले जुर्माना** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105झ)
- **धारा 122 कुछ अंतरणों का अकृत और शून्य होना** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105ञ)
- **धारा 123 अनुरोधपत्र की बाबत प्रक्रिया** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105ट)
- **धारा 124 इस अध्याय का लागू होना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 105ठ)

# अध्याय – 9

# परिशांति कायम रखने के लिए और सदाचार के लिए प्रतिभूति

- **धारा 125 दोषसिद्धि पर परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति** में संहिता का नाम व धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 106)
- **धारा 126 अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 107)
- **धारा 127 कतिपय मामलों को फैलाने वाले व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति** में संहिता का नाम व धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 108)
- **धारा 128 संदिग्ध व्यक्तियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 109)
- **धारा 129 आभ्यासिक अपराधियों से सदाचार के लिए प्रतिभूति** में संहिता का नाम व धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 110, 110ज)
- **धारा 130 आदेश का दिया जाना** जब कोई मजिस्ट्रेट, जो **धारा 126, धारा 127, धारा 128 या धारा 129 के** अधीन कार्य कर रहा है, यह आवश्यक समझता है कि किसी व्यक्ति से अपेक्षा की जाए कि वह उस धारा के अधीन कारण दर्शित करे तब वह मजिस्ट्रेट प्राप्त इत्तिला का सार, उस बंधपत्र की रकम, जो निष्पादित किया जाना है, वह अवधि जिसके लिए वह प्रवर्तन में रहेगा और **प्रतिभुओं की पर्याप्तता और उपयुक्तता पर विचार करने के पश्चात् प्रतिभुओं की संख्या का लिखित आदेश देगा।** को जोडा गया तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 111)

- **धारा 131 न्यायालय में उपस्थित व्यक्ति के बारे में प्रक्रिया** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 112)
- **धारा 132 ऐसे व्यक्ति के बारे में समन या वारंट जो उपस्थित नहीं है**में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 113)
- धारा **133 समन या वारंट के साथ आदेश की प्रति होगी में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 114)
- **धारा 134 वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति देने की शक्ति** में द0प्र0सं0 की धारा 115 में अंकित प्लीडर पद के स्थान पर अधिवक्ता पद को प्रतिस्थापित किया गया है , शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 115)
- **धारा 135 इत्तिला की सच्चाई के बारे में जांच में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, तथा उपधारा (3) में जमानतपत्र पद को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 116)
- **धारा 136 प्रतिभूति देने का आदेश** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, तथा पन्तुक (ग) में अव्यस्क पद के स्थान पर बालक पद को प्रतिस्थापित किया गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 117)
- **धारा 137 उस व्यक्ति का उन्मोचन जिसके विरुद्ध इत्तिला दी गई है में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 118)
- **धारा 138 जिस अवधि के लिए प्रतिभूति अपेक्षित की गई है उसका प्रारंभ में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 119)
- **धारा 139 बंधपत्र की अंतर्वस्तुएं** में जमानतपत्र पद को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 120)
- **धारा 140 प्रतिभुओं को अस्वीकार करने की शक्ति** की उपधारा (3) में जमानतपत्र पद को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 121)

- **धारा 141 प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारावास में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, तथा उपधारा (1)ख में जमानतपत्र पद को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 122)
- **धारा 142 प्रतिभूति देने में असफलता के कारण कारावासित व्यक्तियों को छोड़ने की शक्ति में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 123)
- **धारा 143 बंधपत्र की शेष अवधि के लिए प्रतिभूति में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, तथा उपधारा (1) में जमानतपत्र पद को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 124)

# अध्याय – 10
# पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश

- **धारा 144 पत्नी, संतान और माता-पिता के भरणपोषण के लिए आदेश** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 125)
- **धारा 145 प्रक्रिया में** (1) किसी व्यक्ति के **विरुद्ध धारा 144** के अधीन कार्यवाही किसी ऐसे जिले में की जा सकती है-
- (क) जहां वह है, या
- (ख) जहां वह या उसकी पत्नी निवास करती है, या
- (ग) जहां उसने अंतिम बार, यथास्थिति, अपनी पत्नी के साथ या अधर्मज संतान की माता के साथ निवास किया है; या
- (घ) **जहां उसका पिता निवास करता है या उसकी माता निवास करती है।,** को जोडा गया है, धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 126)
- **धारा 146 भत्ते में परिवर्तन में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 127)
- **धारा 147 भरणपोषण के आदेश का प्रवर्तन** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 128)

# अध्याय – 11

# लोक व्यवस्था और प्रशांति बनाए रखना

## क-विधिविरुद्ध जमाव

- **धारा 148 सिविल बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर-बितर करना** की उपधारा (2) में द0प्र0सं0 की उपधारा (2) कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी उस जमाव को बल द्वारा तितर- बितर करने की कार्यवाही कर सकता है और **किसी भी व्यक्ति** (द0प्र0सं0 की उपधारा (2) में अंकित किसी पुरुष के स्थान पर) से जो सशस्त्र बल का अधिकारी या सदस्य नहीं है, सहायता करने की अपेक्षा कर सकता है। जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 129)

- **धारा 149 जमाव को तितर-बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, तथा उपधारा (1) में द0प्र0सं0 की उपधारा (1) में यदि कोई ऐसा जमाव अन्यथा तितर बितर नहीं किया जा सकता है और यदि लोक सुरक्षा के लिए यह आवश्यक है, कि उसको तितर बितर किया जाये तो उच्चतर पंक्ति का कार्यपालक मजिस्ट्रेट के स्थान पर जिला मजिस्ट्रेट या उसके द्वारा प्राधिकृत को प्रतिस्थापित करते हुए कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जो उपस्थित हो, सशस्त्र बल द्वारा उसे तितर बितर करा सकता है, को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 130)

- **धारा 150 जमाव को तितर-बितर करने की सशस्त्र बल के कतिपय अधिकारियों की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 131)

- **धारा 151 धारा 148, धारा 149 तथा धारा 150 के अधीन किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से संरक्षण** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 132)

# ख-लोक न्यूसेन्स

- **धारा 152 न्यूसेन्स हटाने के लिए सशर्त आदेश** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 133)
- **धारा 153 आदेश की तामील या अधिसूचना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 134)
- **धारा 154 जिस व्यक्ति को आदेश संबोधित हैं वह उसका पालन करे या कारण दर्शित करे** की उपधारा (ख) में द0प्र0सं0 की उपधारा (ख) में अंकित **उस आदेश के अनुसार हाजिर होगा और उसके विरुद्ध कारण दर्शित करेगा**, में **और ऐसी हाजिरी या वर्चुअल सुनवाई श्रव्य दृश्य संगोष्ठी के माध्यम से** अनुज्ञात की जा सकेगी, को जोडा गया है। शेष कोई परिवर्तन नहीं है (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 135)
- **धारा 155 धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति** में संहिता का नाम व धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 136)
- **धारा 156 जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इंकार किया जाता है वहां प्रक्रिया में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 137)
- **धारा 157 व्यक्ति जिसके विरुद्ध धारा 152 के अधीन कोई आदेश दिया गया है वहां कारण दर्शित करने के लिए प्रक्रिया की** उपधारा(3) यदि मजिस्ट्रेट का ऐसा समाधान नहीं होता है तो उस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी :
- परन्तु **इस धारा के अधीन प्रक्रियाएं नब्बे दिनों की अवधि के भीतर यथाशीघ्र पूरी होगी, जो लिखित के कारणों को लेखबद्ध करते हुए एक सौ बीस दिनों तक विस्तारित की जा सकेगी।**, को जोडा गया है **में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 138)

- **धारा 158 स्थानीय अन्वेषण के लिए निदेश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 139)
- **धारा 159 मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 140)
- **धारा 160 आदेश अंतिम कर दिए जाने पर प्रक्रिया और उसकी अवज्ञा के परिणाम** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 141)
- **धारा 161 जांच के लंबित रहने तक व्यादेश** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 142)
- **धारा 162 मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है,** में द0प्र0सं0 की धारा 143 में अंकित कोई जिला मजिस्ट्रेट अथवा उपखण्ड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई **अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट** के साथ –साथ पुलिस आयुक्त को भी जोडते हुए किसी व्यक्ति को आदेश देने के लिए अधिकृत किया गया है। संहिता का नाम परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 143)

# ग- न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले

- **धारा 163 न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामलों में आदेश जारी करने की शक्ति** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 144)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में द0प्र0सं0 की धारा 144क – आयुध सहित जुलूस या सामूहिक कवायद या सामूहिक प्रशिक्षण के प्रतिशेध की शक्ति को हटा दिया गया है।

# घ- स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद

- **धारा 164 जहां भूमि या जल से संबद्ध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य है वहां प्रक्रिया** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 145)
- **धारा 165 विवाद की विषयवस्तु का कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 146)
- **धारा 166 भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबद्ध विवाद** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 147)
- **धारा 167 स्थानीय जांच** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 148)

# अध्याय – 12
# पुलिस का निवारक कार्य

- **धारा 168 पुलिस का संज्ञेय अपराधों का निवारण करना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 149)
- **धारा 169 संज्ञेय अपराधों के किए जाने की परिकल्पना की इत्तिला** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 150)
- **धारा 170 संज्ञेय अपराधों का किया जाना रोकने के लिए गिरफ्तारी** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 151)
- **धारा 171 लोक संपत्ति की हानि का निवारण**में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 152)
- **धारा 172 व्यक्तियों का पुलिस के युक्तियुक्त निदेशों के अनुरूप बाध्य होना** - (1) सभी व्यक्ति इस अध्याय के अधीन उनके किसी कर्तव्यों को पूरा करने में दिए गए पुलिस अधिकारी के युक्तियुक्त निदेशों के अनुरूप बाध्य होंगे।

(2) कोई पुलिस अधिकारी उपधारा (1) के अधीन उसके द्वारा दिए गए निदेशों के अनुरूप किसी व्यक्ति को प्रतिरोध करने, इन्कार करने, अवज्ञा करने या अहवेलना करने के लिए निरुद्ध कर सकेगा या हटा सकेगा और या तो ऐसे व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाएगा या छोटे मामलों में उसे यथासंभव शीघ्रता से चौबीस घंटे की अवधि के भीतर मुक्त कर सकेगा।, **(यह धारा नई जोडी गयी है।)**

- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में द0प्र0सं0 की धारा 153 बाटों और मापों का निरीक्षण को हटा दिया गया है।

# अध्याय – 13

# पुलिस को इत्तिला और उनकी अन्वेषण करने की शक्तियां

- **धारा 173 संज्ञेय मामलों में इत्तिला**
- उपधारा (1) संज्ञेय अपराध के किए जाने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला, उस क्षेत्र पर विचार किए बिना जहां अपराध किया गया है, मौखिक रूप से या **इलैक्ट्रानिक संसूचना** द्वारा पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को दी जा सकेगी
- उपधारा (1)(ii) **(यदि इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा दी गई है, तो उसे देने वाले व्यक्ति द्वारा तीन दिनों के भीतर हस्ताक्षरित किए जाने पर उसके द्वारा लेखबद्ध की जाएगी,और उसका सार ऐसी पुस्तक में, जो उस अधिकारी द्वारा ऐसे रूप में रखी जाएगी, जिसे राज्य सरकार, इस निमित्त नियमों द्वारा विहित करे, प्रविष्ट किया जाएगा: ,**
- उपधारा (2) में इत्तिला देने वाले के साथ साथ पीडित को भी प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि दिये जाने के प्रावधान,
- उपधारा (3) धारा 175 में अंतर्विष्ट उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे किसी संज्ञेय अपराध को करने से संबंधित इत्तिला की प्राप्ति पर जिसमें तीन वर्ष या उससे अधिक का दंड है किन्तु सात वर्ष से अधिक नहीं है, धाने का भारसाधक अधिकारी, -

  (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या चौदह दिनों की अवधि के भीतर मामले में कार्यवाही करने के लिए प्रथमष्ट्याः विद्यमान प्रारंभिक जांच संचालित करने के लिए; या

  (ii) अन्वेषण की कार्यवाही करने के लिए जब प्रथमदृष्ट्याः मामला विद्यमान है,
- ऐसी रैंक के अधिकारी, जो उप पुलिस अधिक्षक की पंक्ति के नीचे का न हो, की पूर्व अनुमति से ऐसे अपराधों की प्रकृति और गंभीरता पर विचार कर सकेगा।

- उपधारा (4) कोई व्यक्ति, जो किसी पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के उपधारा (1) में निर्दिष्ट इत्तिला को अभिलिखित करने से इंकार करने से व्यथित है ऐसी इत्तिला का सार लिखित रूप में और डाक द्वारा संबद्ध पुलिस अधीक्षक को भेज सकता है जो, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी इत्तिला से किसी संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो, या तो स्वयं मामले का अन्वेषण करेगा या अपने अधीनस्थ किसी पुलिस अधिकारी द्वारा इस संहिता द्वारा उपबंधित रीति में अन्वेषण किए जाने का निदेश देगा और उस अधिकारी को उस अपराध के संबंध में पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी की सभी शक्तियां होंगी, **जिसके न हो सकने पर, ऐसा व्यथित व्यक्ति, मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकेगा।**
- को जोडा गया है धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 154)

- धारा 174 **असंज्ञेय मामलों के बारे में इत्तिला और ऐसे मामलों का अन्वेषण** की उपधारा (1) **(ii) में सभी ऐसे मामलों की पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजेगा।,** को जोडा गया है। अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 155)

- **धारा 175 संज्ञेय मामलों का अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति**

- उपधारा (1) कोई पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी, मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी ऐसे संज्ञेय मामले का अन्वेषण कर सकता है, जिसकी जांच या विचारण करने की शक्ति उस थाने की सीमाओं के अंदर के स्थानीय क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को **अध्याय 14 के** उपबंधों के अधीन है :

परन्तु संज्ञेय अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर विचार करते हुए, पुलिस अधीक्षक उप पुलिस अधीक्षक से मामले का अन्वेषण करने के लिए अपेक्षित कर सकेगा।,

- उपधारा (3) धारा 210 के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा (4) के अधीन किए गए शपथपत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, किए जाने के पश्चात् तथा इस सम्बन्ध में किए गए निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकता है।

- उपधारा (4) धारा 210 के अधीन, सशक्त कोई मजिस्ट्रेट लोक सेवक के विरुद्ध परिवाद की प्राप्ति पर जो अपने शासकीय कर्तव्यों के दौरान उत्पन्न हुआ हो, निम्न के अध्यधीन-

(क) उसके वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों को अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट की प्राप्ति, और

(ख) लोक सेवक द्वारा किए गए प्रख्यानों जो ऐसी स्थिति के बारे में है जिससे यह घटना अभिकथित हुई, पर विचार करने के पश्चात्, अन्वेषण का आदेश कर सकेगा। को जोडा गया है शेष अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 156)

- **धारा 176 अन्वेषण के लिए प्रक्रिया**
- **उपधारा (1)(ख)** यदि पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अन्वेषण करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है तो वह उस मामले का अन्वेषण न करेगा :
- परन्तु यह और कि बलात्संग के अपराध के संबंध में, पीड़ित का कथन, पीड़ित के निवास पर या उसकी पसंद के स्थान पर और यथासाध्य, किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा उसके माता-पिता या संरक्षक या नजदीकी नातेदार या परिक्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा **और ऐसा कथन किसी श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों, जिसके अंतर्गत मोबाइल फोन भी है, के माध्यम से अभिलिखित किया जा सकेगा।**
- उपधारा (2) उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (क) और (ख) में वर्णित दशाओं में से प्रत्येक दशा में पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी अपनी रिपोर्ट में उसके द्वारा उस उपधारा की अपेक्षाओं का पूर्णतया अनुपालन न करने के अपने कारणों का कथन करेगा **और मजिस्ट्रेट को पाक्षिक दैनिक डायरी रिपोर्ट भेजेगा**, उक्त परंतुक के खंड (ख) में वर्णित दशा में, अधिकारी, सूचना को, यदि कोई हो, ऐसी रीति से, जो राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाए, भी तत्काल अधिसूचित करेगा।
- उपधारा (3) किसी ऐसे अपराध के जो सात वर्ष या अधिक के लिए दंडनीय बनाया गया है, के होने से संबंधित प्रत्येक इत्तिला की प्राप्ति पर पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी ऐसी तारीख से जो इस संबंध में पांच वर्षों की अवधि की भीतर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अपराध में न्याय सम्बन्धी साक्ष्य संग्रहण करने के लिए न्याय संबंधी दल को अपराध स्थल पर भेज सकेगा और मोबाइल फोन या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक युक्ति पर प्रक्रिया की वीडियोग्राफी बनवाएगा।

परन्तु जहां ऐसे किसी अपराध के संबंध में न्याय संबंधी सुविधा उपलब्ध नहीं है वहां राज्य सरकार जब तक उस मामले के संबंध में सुविधा नियोजित नहीं हो जाती या राज्य द्वारा नहीं की जाती, अन्य राज्य सरकार से ऐसी सुविधा के उपयोग को अधिसूचित कर सकेगी। को जोडा गया है। धारा का क्रमांक परिवर्तित है, शेष अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 157)

- **धारा 177 रिपोर्ट कैसे दी जाएंगी में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, शेष अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 158)
- **धारा 178 अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की शक्ति में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, शेष अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 159)
- **धारा 179 साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति** की उपधारा (1) में द0प्र0सं0 की धारा 160 की उपधारा (1) में अंकित अन्वेषण अधिकारी को 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति के बयान निवास स्थान पर लेने के स्थान पर 60 वर्ष से अधिक आयु, गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के बयान उसके निवास स्थान पर लेने का प्रावधान किया गया है। परन्तु और यह कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने के लिए सहमत है तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 160)
- **धारा 180 पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, शेष अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 161)
- **धारा 181 पुलिस को किया गया कथन और उसका उपयोग** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है, शेष अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 162)
- **धारा 182 कोई उत्प्रेरणा न दिया जाना** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है, शेष अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 162)

- **धारा 183 संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना** की उपधारा (1) में द0प्र0सं0 की धारा 164 की उपधारा (1) में अंकित महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा बयान लेने के स्थान पर अब जिले के किसी मजिस्ट्रेट को बयान लेने के लिए अधिकृत किया गया है। तथा
- उपधारा (6)क भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 69, धारा 70, धारा 71, धारा 74, धारा 75, धारा 76, धारा 77, धारा 78, धारा 79 या धारा 124 के अधीन दंडनीय मामलों में मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति का, जिसके विरुद्ध उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसा अपराध किया गया है, कथन जैसे ही अपराध का किया जाना पुलिस की जानकारी में लाया जाता है, अभिलिखित करेगा;
- परन्तु ऐसा कथन जहां तक साध्य हो, महिला मजिस्ट्रेट द्वारा और उसकी अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट द्वारा महिला की उपस्थिति में अभिलिखित किया जा सकेगा;
- परन्तु यह और कि ऐसे अपराध से संबंधित मामले में जो दस वर्ष या उससे अधिक कारावास से या आजीवन या मृत्युदंड से दंडनीय है, मजिस्ट्रेट पुलिस अधिकारी द्वारा उसके समक्ष लाए गए साक्ष्य के कथन को अभिलिखित करेगा :
- परन्तु यह और कि यदि कथन करने वाला व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो किसी द्विभाषिए या विशेष प्रबोधक की सहायता से उस व्यक्ति द्वारा किए गए कथन, **श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों, अधिमानतः मोबाइल फोन** के माध्यम से अभिलिखित किया जाएगा।, को जोडा गया है। संहिता का नाम , धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 164)

- **धारा 184 बलात्संग के पीड़ित व्यक्ति की चिकित्सीय परीक्षा**
- उपधारा (6) में द0प्र0सं0 की धारा 164क में अंकित बिना विलम्ब के स्थान पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा-व्यवसायी, **सात दिनों की अवधि के भीतर** रिपोर्ट अन्वेषण अधिकारी को भेजेगा जो **उसे धारा 193** में निर्दिष्ट मजिस्ट्रेट को, उस धारा की उपधारा (6) के खंड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के भागरूप में भेजेगा।, को जोडा गया है धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 164क)
- **धारा 185 पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी**
- उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी, यदि साध्य है तो, तलाशी स्वयं लेगा।
- **परन्तु इस धारा के अधीन संचालित की गई तलाशी अधिमानतयाः मोबाइल फोन श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से अभिलिखित की जा सकेगी।**
- उपधारा (5) में उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन बनाए गए किसी भी अभिलेख की प्रतियां तत्काल, **किन्तु अड़तालीस घंटों के पश्चात्** न हो, ऐसे निकटतम मजिस्ट्रेट के पास भेज दी जाएंगी जो उस अपराध का संज्ञान करने के लिए सशक्त है और जिस स्थान की तलाशी ली गई है, उसके स्वामी या अधिभोगी को, उसके आवेदन पर, उसकी एक प्रतिलिपि मजिस्ट्रेट द्वारा निःशुल्क दी जाएगी।, को जोडा गया है, धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 165)
- **धारा 186 पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी कब किसी अन्य अधिकारी से तलाशी वारंट जारी करने की अपेक्षा कर सकता है में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 166)

- **धारा 187 जब चौबीस घण्टे के अंदर अन्वेषण पूरा न किया जा सके, तब प्रकिया**

- **उपधारा** (2) वह मजिस्ट्रेट, जिसके पास अभियुक्त व्यक्ति इस धारा के अधीन भेजा जाता है, यह विचार किए बिना चाहे उस मामले के विचारण की उसे अधिकारिता हो या न हो, **अभियुक्त व्यक्ति पर विचार करने के पश्चात् कि क्या वह जमानत पर नहीं छोड़ा गया है या उसकी जमानत रद्द कर दी गयी है**, अभियुक्त का ऐसी अभिरक्षा में, जैसी वह मजिस्ट्रेट ठीक समझे इतनी अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पूर्णतः या भागतः पंद्रह दिन से अधिक न होगी, उपधारा (3) में यथा **उपबंधित यथास्थिति, साठ दिनों या नब्बे दिनों की उसकी निरुद्ध अवधि में से पहले चालीस दिन या साठ दिन में से पहले चालीस दिन या साठ दिन के दौरान किसी भी समय निरुद्ध किया जाना समय-समय पर प्राधिकृत कर सकता है** तथा यदि उसे मामले के विचारण की या विचारण के लिए सुपुर्द करने की अधिकारिता नहीं है और अधिक निरुद्ध रखना उसके विचार में अनावश्यक है तो वह अभियुक्त को ऐसे मजिस्ट्रेट के पास, जिसे ऐसी अधिकारिता है, भिजवाने के लिए आदेश दे सकता है:

- उपधारा (5) में परंतु यह और कि किसी व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा न्यायिक अभिरक्षा या जेल के रूप में घोषित स्थान के अधीन पुलिस अभिरक्षा या जेल में पुलिस थाने से भिन्न स्थान पर अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। (कोई हाउस अरेस्ट नहीं होगा)

- जोडा गया है, अध्याय का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 167)

- **धारा 188 अधीनस्थ पुलिस अधिकारी द्वारा अन्वेषण की रिपोर्ट** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 168)

- **धारा 189 जब साक्ष्य अपर्याप्त हो तब अभियुक्त का छोड़ा जाना** में जमानतपत्र पद को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तिन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 169)

- **धारा 190 जब साक्ष्य पर्याप्त है तब मामलों का मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया जाना**
- उपधारा (1) के परन्तु यदि अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए ऐसे व्यक्ति से प्रतिभूति ले सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट जिसको ऐसी रिपोर्ट भेजी गई है, इस आधार पर कि अभियुक्त को अभिरक्षा में नहीं भेजा गया है, उसे स्वीकृत करने से इन्कार नहीं करेगा। को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 170)
- **धारा 191 परिवादी और साक्षियों से पुलिस अधिकारी के साथ जाने की अपेक्षा न किया जाना और उनका अवरुद्ध न किया जाना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 171)
- **धारा 192 अन्वेषण में कार्यवाहियों की डायरी** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 172)
- **धारा 193 अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट-**
- उपधारा (3)(ज) जहां अन्वेषण **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 64, धारा 65, धारा 66, धारा 67, धारा 68, धारा 70 या धारा 71** के अधीन किसी अपराध के संबंध में है, वहां क्या महिला की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट संलग्न की गई है।
- (i) इलैक्ट्रानिक युक्ति की दशा में अभिरक्षा का अनुक्रम;
- (ii) पुलिस अधिकारी नब्बे दिनों की अवधि के भीतर अन्वेषण की प्रगति की सूचना, किन्हीं साधनों द्वारा, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक संसूचना के माध्यम से भी, सूचना देने वाले या पीड़ित को देगा। को जोडा गया है।
- उपधारा (8) में उपधारा (7) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन जहां मामले का अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी धारा 230 के अधीन यथा अपेक्षित अभियुक्त को प्रदान करने के लिए मजिस्ट्रेट को सम्यक् रूप से सूचीबद्ध अन्य दस्तावेजों के साथ पुलिस रिपोर्ट की उतनी संख्या में प्रतियां जो अपेक्षित की जाएं, भी प्रस्तुत करेगा : परंतु इलैक्ट्रानिक संसूचना द्वारा रिपोर्ट या **अन्य दस्तावेजों के प्रदाय को सम्यक् रूप से तामील हुआ माना जायेगा।** तथा
- उपधारा (9) में **परन्तु विचारण के दौरान और अन्वेषण मामले का विचार करने वाले न्यायालय की अनुज्ञा से संचालित किया जा सकेगा और जो नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा जिसका विस्तार न्यायालय की अनुज्ञा से किया जा सकेगा** को जोडा गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य

- **धारा 194 आत्महत्या, आदि पर पुलिस का जांच करना और रिपोर्ट देना**
- उपधारा (2) में उस रिपोर्ट पर ऐसे पुलिस अधिकारी और अन्य व्यक्तियों द्वारा, या उनमें से इतनों द्वारा जो उससे सहमत है, हस्ताक्षर किए जाएंगे और वह जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट को **चौबीस घंटों** (द0प्र0सं0 की धारा 174 में तत्काल के स्थान पर) के भीतर तत्काल भेज दी जाएगी। शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 174)
- **धारा 195 व्यक्तियों को समन करने की शक्ति**
- उपधारा (1)**धारा 194** के अधीन कार्यवाही करने वाला पुलिस अधिकारी यथापूर्वोक्त दो या अधिक व्यक्तियों को उक्त अन्वेषण के प्रयोजन से और किसी अन्य ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है, लिखित आदेश द्वारा समन कर सकता है तथा ऐसे समन किया गया प्रत्येक व्यक्ति हाजिर होने के लिए और उन प्रश्नों के सिवाय, जिनके उत्तरों की प्रवृत्ति उसे आपराधिक आरोप या शास्ति या समपहरण की आशंका में डालने की है, सब प्रश्नों का सही-सही उत्तर देने के लिए आबद्ध होगा :
- परन्तु पंद्रह वर्ष से कम की आयु या साठ वर्ष की आयु से ऊपर के किसी व्यक्ति या महिला या मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्ति या गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई व्यक्ति से, उस स्थान के सिवाय जहां ऐसा व्यक्ति रहता है, किसी स्थान पर हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी :
- परन्तु और कि यदि ऐसा व्यक्ति पुलिस थाने पर हाजिर होने और उत्तर देने के लिए सहमत न हो तो ऐसे व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा। जोडा गया है तथा धारा के क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 175)
- **धारा 196 मृत्यु के कारण की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच** में केवल धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 176)

# अध्याय – 14
## जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता

- **धारा 197 जांच और विचारण का मामूली स्थान** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 177)
- **धारा 198 जांच या विचारण का स्थान** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 178)
- **धारा 199 अपराध वहां विचारणीय होगा जहां कार्य किया गया या जहां परिणाम निकला** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 179)
- **धारा 200 जहां कार्य अन्य अपराध से सम्बन्धित होने के कारण अपराध है, वहां विचारण का स्थान** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 180)
- **धारा 201 कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान** की उपधारा (1) में द0प्र0सं0 की धारा 181 की उपधारा (1) में अंकित ठग होने के या ठग द्वारा हत्या के पद को हटा दिया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है।
- **धारा 202 इलैक्ट्रानिक संसूचना के साधनों, पत्रों, आदि द्वारा किए गए अपराध** की उपधारा (1) में इलेक्ट्रानिक संसूचना पद को जोडा गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 182)
- **धारा 203 यात्रा या जलयात्रा में किया गया अपराध** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 183)
- **धारा 204 एक साथ विचारणीय अपराधों के लिए विचारण का स्थान में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 184)

- धारा 205 **विभिन्न सेशन खण्डों में मामलों के विचारण का आदेश देने की शक्ति**में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 185)
- **धारा 206 सन्देह की दशा में उच्चच न्यायालय का वह जिला विनिश्चित करना, जिसमें जांच या विचारण होगा**में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 186)
- **धारा 207 स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारण्ट जारी करने की शक्ति** की उपधारा (1) में जमानतपत्र पद को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 187)
- **धारा 208 भारत से बाहर किया गया अपराध**
- उपधारा (ख) किसी व्यक्ति द्वारा, जो भारत का नागरिक नहीं है, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर किया जाता है, तब उस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्यवाही की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के भीतर उस स्थान में किया गया है, जहां वह पाया गया है या **जहां अपराध भारत में रजिस्ट्रीकृत है,** को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 188)
- **धारा 209 भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना** में न्यायिक अधिकारी के समक्ष **वास्तविक प्रारूप में या इलैक्ट्रानिक प्रारूप** में अभिलेखीय साक्ष्यों को पेश करने के प्रावधान को जोडा गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 189)

# अध्याय –15
# कार्यवाहियां शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें

- **धारा 210 मजिस्ट्रेटों द्वारा अपराधों का संज्ञान**
- उपधारा (2) के अधीन विशेषतया सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट, किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित दशाओं में कर सकता है :-

  (क) उन तथ्यों का, **जिसमें किसी विशेष विधि के अधीन प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया गया कोई परिवाद शामिल** है, जिनसे ऐसा अपराध बनता है, परिवाद प्राप्त होने पर:

  (ख) ऐसे तथ्यों के बारे में **(इलैक्ट्रानिक रीति सहित किसी रीति में प्रस्तुत)** पुलिस रिपोर्ट पर; को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 190)

- **धारा 211 अभियुक्त के आवेदन पर अन्तरण** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 191)
- **धारा 212 मामले मजिस्ट्रेटों के हवाले करना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 192)

- **धारा 213 अपराधों का सेशन न्यायालयों द्वारा संज्ञान** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 193)
- **धारा 214 अपर सेशन न्यायाधीशों को हवाले किए गए मामलों पर उनके द्वारा विचारण** में द0प्र0सं0 की धारा 194 में अंकित सहायक सेशन न्यायाधीश पद को हटा दिया गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 194)
- **धारा 215 लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के लिए और साक्ष्य में दिए गए दस्तावेजों से सम्बन्धित अपराधों के लिए लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के अवमान के लिए अभियोजन**
- **उपधारा (1)**(iii) ऐसा अपराध करने के लिए किसी आपराधिक षड्यंत्र का, संज्ञान सम्बद्ध लोक सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है **या कोई अन्य लोक सेवक जो संबद्ध लोक सेवक द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है,** लिखित परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं;,
- उपधारा (2) जहाँ किसी लोक सेवक द्वारा **या किसी अन्य लोक सेवक** द्वारा जो उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उसके द्वारा ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है, कोई परिवाद किया गया है वहां ऐसा कोई प्राधिकारी, जिसके वह प्रशासनिक तौर पर अधीनस्थ है, **या जिसने ऐसे लोक सेवक को अधिकृत किया है** वह उस परिवाद को वापस लेने का आदेश दे सकता है और ऐसे आदेश की प्रति न्यायालय को भेजेगा, और न्यायालय द्वारा उसकी प्राप्ति पर उस परिवाद के सम्बन्ध में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी :
- उपधारा (3) में द0प्र0सं0 की धारा 195 की उपधारा (3) में प्रान्तीय को हटा दिया गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 195)

- **धारा 216 धमकी देने आदि की दशा में साक्षियों के लिए प्रक्रिया** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 195)

- **धारा 217 राज्य के विरुद्ध अपराधों के लिए और ऐसे अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र के लिए अभियोजन** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 196)

- **धारा 218 न्यायाधीशों और लोक सेवकों का अभियोजन**

- उपधारा (1)ख ऐसे व्यक्ति की दशा में, जो किसी राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में, यथास्थिति, नियोजित है या अभिकथित अपराध के किए जाने के समय नियोजित था, उस राज्य सरकार की, पूर्व मंजूरी से ही करेगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु जहां अभिकथित अपराध, खण्ड (ख) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति द्वारा उस अवधि के दौरान किया गया था, जब राज्य में संविधान के अनुच्छेद 356 के खण्ड (1) के अधीन की गई उद्घोषणा प्रवृत्त थी, वहां खण्ड (ख) इस प्रकार लागू होगा, मानो उसमें आने वाले "राज्य सरकार" पद के स्थान पर "केन्द्रीय सरकार" पद रख दिया गया है :

**परन्तु यह और कि ऐसी सरकार मंजूरी के लिए अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से एक सौ बीस दिनों की अवधि के भीतर निर्णय करेगी और उस अवस्था में यदि वह ऐसा करने में असफल हो जाती है, तो मंजूरी, ऐसी सरकार द्वारा दी गई समझी जाएगी :** जोडा गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 197)

- **धारा 219 विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए अभियोजन** की उपधारा (1)ख में द0प्र0सं0 की धारा 198 की उपधारा (1)ख में अंकित जहां ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का है अथवा जड या पागल है के स्थान पर जहां ऐसा व्यक्ति **बालक है या विकृत चित्त है या बौद्धिक रूप से दिव्यांग** ऐसा व्यक्ति है, जिसे उच्चतर सहायता की आवश्यकता है या रोग या अंग-शैथिल्य के कारण परिवाद करने के लिए असमर्थ है, या ऐसी महिला है, जो स्थानीय रुढ़ियों और रीतियों के अनुसार लोगों के सामने आने के लिए विवश नहीं की जानी चाहिए, वहां उसकी ओर से कोई अन्य व्यक्ति न्यायालय की इजाजत से परिवाद कर सकता है;को जोडा गया है तथा संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 198)

- **धारा 220 भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 85 के अधीन अपराधों का अभियोजन** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 198-क)
- **धारा 221 अपराध का संज्ञान** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 198-ख)
- **धारा 222 मानहानि के लिए अभियोजन** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 199)

# अध्याय – 16
# मजिस्ट्रेटों से परिवाद

- **धारा 223 परिवादी की परीक्षा**
- **उपधारा** (1) जब अधिकारिता रखने वाला मजिस्ट्रेट परिवाद पर किसी अपराध का संज्ञान करेगा तब परिवादी की और यदि कोई साक्षी उपस्थित हैं तो उनकी शपथ पर परीक्षा करेगा और ऐसी परीक्षा का सारांश लेखबद्ध किया जाएगा और परिवादी और साक्षियों द्वारा तथा मजिस्ट्रेट द्वारा भी हस्ताक्षरित किया जाएगा:
- **परन्तु किसी अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा: जोडा गया है।**
- **उपधारा (2) कोई मजिस्ट्रेट किसी लोक सेवक के विरुद्ध उसके शासकीय कृत्यों या कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कारित किया जाना अभिकथित किए गए किसी अपराध के लिए परिवाद पर संज्ञान नहीं लेगा, यदि-**
- **(क) ऐसे लोक सेवक को उस परिस्थिति के बारे में प्राख्यान करने का अवसर नहीं दिया जाता है, जिसके कारण अभिकथित घटना घटित हुई; और**
- **(ख) ऐसे लोक सेवक के वरिष्ठ अधिकारी से घटना के तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्विष्ट करने वाली रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है। जोडा गया है। धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है।** (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 200)
- **धारा 224 ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जो मामले का संज्ञान करने के लिए सक्षम नहीं है** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 201)

- **धारा 225 आदेशिका के जारी किए जाने को मुल्तवी करना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 202)
- **धारा 226 परिवाद का खारिज किया जाना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 203)

# अध्याय – 17
# मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाना

- **धारा 227 आदेशिका का जारी किया जाना**
- उपधारा (1) (ख) मामला वारण्ट-मामला प्रतीत होता है तो वह अपने या (यदि उसकी अपनी अधिकारिता नहीं है तो) अधिकारिता वाले किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त के निश्चित समय पर लाए जाने या हाजिर होने के लिए वारंट, या यदि ठीक समझता है समन, जारी कर सकता है। **परन्तु समन या वारंट, इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से भी जारी किए जा सकेंगे।** जोडा गया तथा धारा का क्रमांक परिवर्तन है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 204)
- **धारा 228 मजिस्ट्रेट का अभियुक्त को वैयक्तिक हाजिरी से अभिमुक्ति दे सकना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 205)
- **धारा 229 छोटे अपराधों के मामले में विशेष समन** की उपधारा (1) यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में, मामले को **धारा 283 या धारा 284** के अधीन संक्षेपतः निपटाया जा सकता है तो वह मजिस्ट्रेट, उस दशा के सिवाय, जहां उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, उसकी प्रतिकूल राय है, अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए उसके लिए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा हाजिर हो या यदि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो लिखित रूप में उक्त अभिवाक् और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने को रकम डाक या संदेशवाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व भेज दे या यदि वह अधिवक्ता द्वारा हाजिर होना चाहता है और ऐसे अधिवक्ता द्वारा उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो अधिवक्ता को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करे और ऐसे अधिवक्ता की मार्फत जुर्माने का संदाय करे : परन्तु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम **पांच हजार रुपए से अधिक** न होगी (द0प्र0सं0 की धारा 206 की उपधारा (1) में एक हजार रूपये से अधिक न होगी के स्थान पर)।
- (2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "छोटे अपराध" से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है, **जो केवल पांच हजार रुपये से अनधिक जुर्माने** (द0प्र0सं0 की धारा 206 की उपधारा (2) में एक हजार रूपये से अधिक न होगी के स्थान पर) से दण्डनीय है किन्तु इसके अन्तर्गत कोई ऐसा अपराध नहीं है जो **मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59)** के अधीन या किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन, जिसमें दोषी होने के अभिवाक् पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोषसिद्ध करने के लिए उपबन्ध है, इस प्रकार दण्डनीय है। धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है । (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 206)

- धारा 230 **अभियुक्त को पुलिस रिपोर्ट या अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि देना** किसी ऐसे मामले में जहां कार्यवाही पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित की गई है, वहां **मजिस्ट्रेट बिना किसी देरी के और मामले में अभियुक्त को उपस्थित करने या उसके उपस्थित होने की तारीख से चौदह दिनों की अवधि से अधिक न हो**, निम्नलिखित में से प्रत्येक की एक प्रतिलिपि अभियुक्त और पीड़ित को (यदि उसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया गया हो) अविलम्ब निःशुल्क देगा :, को जोडा गया है
- (v) कोई अन्य दस्तावेज या उसका सुसंगत उद्धरण, जो **धारा 193 की उपधारा (6)** के अधीन पुलिस रिपोर्ट के साथ मजिस्ट्रेट को भेजी गई है
- परन्तु मजिस्ट्रेट खण्ड (iii) में निर्दिष्ट कथन के किसी ऐसे भाग का परिशीलन करने और ऐसे निवेदन के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों पर विचार करने के पश्चात् यह निदेश दे सकता है कि कथन के उस भाग की या उसके ऐसे प्रभाग की, जैसा मजिस्ट्रेट ठीक समझे, एक प्रतिलिपि अभियुक्त को दी जाए:
- परन्तु यह और कि यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि कोई दस्तावेज विशालकाय है तो वह अभियुक्त और पीड़ित (यदि उसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता द्वारा किया गया है) को उसकी **प्रतिलिपि देने के बजाय इलैक्ट्रानिक साधन के माध्यम से प्रति** को दिया जा सकेगा या यह निदेश देगा कि उसे स्वयं या अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा :
- **परन्तु यह भी कि इलैक्ट्रानिक प्ररूप में उन दस्तावेजों को प्रदाय करने के लिए विचार किया जाएगा जो सम्यक् रूप से प्रस्तुत किए गए हैं।** को जोडा गया तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 207)

- धारा 231 **सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय अन्य मामलों में अभियुक्त को कथनों और दस्तावेजों की प्रतिलिपियां देना**
- **उपधारा** (iii) मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश की गई कोई दस्तावेजें, जिन पर निर्भर रहने का अभियोजन का विचार है:
- परन्तु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी कोई दस्तावेज विशालकाय है, तो वह अभियुक्त को उसकी प्रतिलिपि देने के बजाय यह निदेश देगा कि उसे स्वयं या अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में उसका निरीक्षण ही करने दिया जाएगा :
- **परन्तु यह भी कि इलैक्ट्रानिक प्ररूप में उन दस्तावेजों को प्रदाय करने के लिए विचार किया जाएगा जो सम्यक् रूप से प्रस्तुत किए गए हैं।** जोडा गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 208)
- **धारा 232 जब अपराध अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे सुपुर्द करना**
- उपधारा (घ) मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को सूचना देगा :

**परन्तु इस धारा के अधीन प्रक्रियाएं संज्ञान लेने की तारीख से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी और मजिस्ट्रेट द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसी अवधि के लिए विस्तारित की जा सकेगी जो एक सौ अस्सी दिनों की अवधि से अधिक न हो :**

**परन्तु यह और कि जहां कोई आवेदन सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले में अभियुक्त या पीड़ित या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दाखिल किया गया है तो मामले को सुपुर्द करने के लिए सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा।** जोडा गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 209)

- **धारा 233 परिवाद वाले मामले में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और उसी अपराध के बारे में पुलिस अन्वेषण में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 210)

# अध्याय 18 - आरोप
# क- आरोपों का प्रारूप

- **धारा 234 आरोप की अन्तर्वस्तु** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 211)
- **धारा 235 समय, स्थान और व्यक्ति के बारे में विशिष्टियां** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 212)
- **धारा 236 कब अपराध किए जाने की रीति कथित की जानी चाहिए में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 213)
- **धारा 237 आरोप के शब्दों का वह अर्थ लिया जाएगा जो उनका उस विधि में है जिसके अधीन वहअपराध दण्डनीय है में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 214)
- **धारा 238 गलतियों का प्रभाव** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 215)
- **धारा 239 न्यायालय आरोप परिवर्तित कर सकता है में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 216)
- **धारा 240 जब आरोप परिवर्तित किया जाता है तब साक्षियों का पुनः बुलाया जाना में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 217)

# ख-आरोपों का संयोजन

- **धारा 241 सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक् आरोप में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 218)
- **धारा 242 एक ही वर्ष में किए गए एक किस्म के अपराधों का आरोप एक साथ लगाया जा सके**
- **उपधारा** (1) जब किसी व्यक्ति पर एक ही किस्म के ऐसे एक से अधिक अपराधों का अभियोग है, ऐसे अपराधों में से पहले अपराध से लेकर अन्तिम अपराध, बारह मास के अन्दर ही किए गए हैं, चाहे वे एक ही व्यक्ति के बारे में किए गए हों या नहीं, तब उस पर उनमें से **पांच से अनधिक** कितने ही (**द0प्र0सं0 की धारा 219 की उपधारा (1) में अंकित तीन से अनधिक कितने ही, के स्थान पर**) अपराधों के लिए एक ही विचारण में आरोप लगाया और विचारण किया जा सकता है।, जोडा गया है तथा संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 219)
- **धारा 243 एक से अधिक अपराधों के लिए विचारण** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 220)
- **धारा 244 जहां इस बारे में संदेह है कि कौन सा अपराध किया गया है** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 221)
- **धारा 245 जब वह अपराध, जो साबित हुआ है, आरोपित अपराध के अन्तर्गत है** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 222)
- **धारा 246 किन व्यक्तियों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया जा सकेगा** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 223)
- **धारा 247 कई आरोपों में से एक के लिए दोषसिद्धि पर शेष आरोपों को वापस लेना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 224)

# अध्याय – 19
# सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण

- **धारा 248 विचारण का संचालन लोक अभियोजक द्वारा किया जाना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 225)
- धारा 249 **अभियोजन के मामले के कथन का आरम्भ -** जब अभियुक्त **धारा 232 के** अधीन मामले की सुपुर्दगी के अनुसरण में **या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत आरोपी** न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है तब अभियोजक अपने मामले का कथन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप का वर्णन करते हुए और यह बताते हुए आरम्भ करेगा कि वह अभियुक्त के दोष को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करता है। जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 226)
- **धारा 250 उन्मोचन उपधारा (1) यदि अभियुक्त, धारा 232 के अधीन वाद की सुपुर्दगी की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा।** को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 227)
- **धारा 251 आरोप विरचित करना**
- उपधारा (1)(ख) अनन्यतः उस न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह, अभियुक्त के विरुद्ध **आरोप पर सुनवाई की पहली तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर आरोप** लिखित रूप में विरचित करेगा।
- उपधारा (2) जहां न्यायाधीश उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन कोई आरोप विरचित करता है, वहां वह आरोप या तो शारीरिक रूप से **या श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों** से उपस्थित अभियुक्त को पढ़कर सुनाया और समझाया जाएगा और अभियुक्त से यह पूछा जाएगा कि क्या वह उस अपराध का, जिसका आरोप लगाया गया है, दोषी होने का अभिवचन करता है या विचारण किए जाने का दावा करता है। जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 228)

- **धारा 252 दोषी होने के अभिवचन** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 229)
- **धारा 253 अभियोजन साक्ष्य के लिए तारीख** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 230)
- **धारा 254 अभियोजन के लिए साक्ष्य –** उपधारा (1) ऐसे नियत तारीख पर न्यायाधीश, ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाए : **परन्तु इस उपधारा के अधीन साक्षी का साक्ष्य, श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों से अभिलिखित किया जा सकता है।**
- **उपधारा (2) किसी लोक सेवक का श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से साक्ष्य का अभिसाक्ष्य लिया जा सकेगा।** जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 231)
- **धारा 255 दोषमुक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 232)
- **धारा 256 प्रतिरक्षा आरम्भ करना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 233)
- **धारा 257 बहस** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 234)
- **धारा 258 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि का निर्णय** उपधारा (1) बहस और विधि-प्रश्न (यदि कोई हो) सुनने के पश्चात् न्यायाधीश **यथाशीघ्र बहस पूर्ण होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर मामले में निर्णय देगा, जिसे उन कारणों से लेखबद्ध करते हुए पैंतालीस दिन की अवधि तक बढ़ाया जा सकेगा।** जोडा गया है, धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है।(द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 235)

- **धारा 259 पूर्व दोषसिद्धि** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 236)
- धारा 260 **धारा 222 की उपधारा (2) के अधीन संस्थित मामलों में प्रक्रिया**
- **उपधारा** (4) न्यायालय इस प्रकार निदिष्ट व्यक्ति द्वारा दर्शित किसी कारण को लेखबद्ध करेगा और उस पर विचार करेगा और यदि उसका समाधान हो जाता है कि अभियोग लगाने का कोई उचित कारण नहीं था, तो वह **पांच हजार रुपये से अनधिक** इतनी रकम का (**द0प्र0सं0 की धारा 237 की उपधारा (4) में अंकित एक हजार रूपये से अनधिक के स्थान पर**), जितनी वह अवधारित करे, प्रतिकर उस व्यक्ति द्वारा अभियुक्त को या, उनमें से प्रत्येक को या किसी को, दिए जाने का आदेश, उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, दे सकेगा। जोडा गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 237)

# अध्याय – 20

# मजिस्ट्रेटों द्वारा वारण्ट-मामलों का विचारण

# क- पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले

- **धारा 261 धारा 230 का अनुपालन** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 238)
- **धारा 262 जब अभियुक्त का उन्मोचन किया जाएगा** उपधारा (1) **यदि अभियुक्त, धारा 230 के अधीन दस्तावेजों की प्रतियां देने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर उन्मोचन के लिए आवेदन कर सकेगा।** जोडा गया तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 239)
- धारा 263 **आरोप विरचित करना उपधारा** (1) यदि ऐसे विचार, परीक्षा, यदि कोई हो, और सुनवाई कर लेने पर मजिस्ट्रेट की यह राय है कि ऐसी उपधारणा करने का आधार है कि अभियुक्त ने इस अध्याय के अधीन विचारणीय ऐसा अपराध किया है जिसका विचारण करने के लिए, वह मजिस्ट्रेट सक्षम है और जो उसकी राय में उसके द्वारा पर्याप्त रूप से दण्डित किया जा सकता है तो वह अभियुक्त के विरुद्ध **आरोप की पहली सुनवाई की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में विरचित करेगा।** जोडा गया अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 240)
- **धारा 264 दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 241)
- धारा 265 **अभियोजन के लिए साक्ष्य**
- उपधारा (3) ऐसी नियत तारीख पर मजिस्ट्रेट ऐसा सब साक्ष्य लेने के लिए अग्रसर होगा जो अभियोजन के समर्थन में पेश किया जाता है :
- परन्तु मजिस्ट्रेट किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा तब तक के लिए, जब तक किसी अन्य साक्षी या साक्षियों की परीक्षा नहीं कर ली जाती है, स्थगित करने की अनुज्ञा दे सकेगा या किसी साक्षी को अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा के लिए पुनः बुला सकेगा :
- **परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन किसी साक्षी की परीक्षा, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अभिहित स्थान पर श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों से की जा सकेगी।** जोडा गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 242)

- **धारा 266 प्रतिरक्षा का साक्ष्य**
- **परन्तु यह और कि इस उपधारा (उपधारा 2) के अधीन किसी साक्षी की परीक्षा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले किसी अभिहित स्थान पर श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा की जा सकेगी,** जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 243)

# ख-पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले

- **धारा 267 अभियोजन का साक्ष्य** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 244)
- **धारा 268 अभियुक्त को कब उन्मोचित किया जाएगा** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 245)
- **धारा 269 प्रक्रिया, जहां अभियुक्त उन्मोचित नहीं किया जाता**
- **उपधारा (7) जहां इस संहिता के अधीन अभियोजन को अवसर दिए जाने के बावजूद और सभी युक्तियुक्त उपाय किए जाने के पश्चात्, यदि उपधारा (5) और उपधारा (6) के अधीन अभियोजन साक्षियों की उपस्थिति प्रतिपरीक्षा के लिए सुनिश्चित नहीं की जा सकती है, तो यह माना जाएगा कि ऐसा साक्षी परीक्षा किए जाने के लिए उपलब्ध नहीं हुआ है, और मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं अभियोजन साक्ष्य को बंद कर सकेगा और अभिलेख पर की सामग्रियों के आधार पर मामले में कार्यवाही कर सकेगा।** जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 246)
- **धारा 270 प्रतिरक्षा का साक्ष्य** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 247)

# ग-विचारण की समाप्ति

- **धारा 271 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 248)
- **धारा 272 परिवादी की अनुपस्थिति** जब कार्यवाही परिवाद पर संस्थित की जाती है और मामले की सुनवाई के लिए नियत किसी दिन परिवादी अनुपस्थित है और अपराध का विधिपूर्वक शमन किया जा सकता है या वह संज्ञेय अपराध नहीं है तब मजिस्ट्रेट **30 दिन का समय दे सकता है**, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, आरोप के विरचित किए जाने के पूर्व किसी भी समय अभियुक्त को, स्वविवेकानुसार, उन्मोचित कर संकेगा। जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 249)
- **धारा 273 उचित कारण के बिना अभियोग के लिए प्रतिकर**
- उपधारा (6) कोई परिवादी या इत्तिला देने वाला, जो द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट द्वारा उपधारा (2) के अधीन **दो हजार रुपये से अधिक** (**द0प्र0सं0 की धारा 250 की उपधारा (6) में अंकित एक सौ रुपये से अधिक के स्थान पर** ) प्रतिकर देने के लिए आदिष्ट किया गया है, उस आदेश की अपील ऐसे कर सकेगा मानो वह परिवादी या इत्तिला देने वाला ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण में दोषसिद्ध किया गया है। जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 250)
- **धारा 274 अभियोग का सारांश बताया जाना** जब समन-मामले में अभियुक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष हाजिर होता है या लाया जाता है, तब उसे उस अपराध की विशिष्टियां बताई जाएंगी जिसका उस पर अभियोग है, और उससे पूछा जाएगा कि क्या वह दोषी होने का अभिवाक् करता है या प्रतिरक्षा करना चाहता है; किन्तु यथा रीति आरोप विरचित करना आवश्यक न होगा :
- **परन्तु मजिस्ट्रेट अभियोग को, आधारहीन समझता है, तो वह ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, अभियुक्त को निर्मुक्त करेगा और ऐसी निर्मुक्ति का प्रभाव उन्मोचन होगा।**, जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 251)
- **धारा 275 दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 252)

- **धारा 276 छोटे मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में दोषी होने के अभिवाक् पर दोषसिद्धि** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 253)
- धारा 277 **प्रक्रिया जब दोषसिद्ध न किया जाए**में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 254)
- **धारा 278 दोषमुक्ति या दोषसिद्धि** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 255)
- धारा 279 **परिवादी का हाजिर न होना या उसकी मृत्यु**
- **उपधारा** (1) यदि परिवाद पर समन जारी कर दिया गया हो और अभियुक्त की हाजिरी के लिए नियत दिन, या उसके पश्चात्वर्ती किसी दिन, जिसके लिए सुनवाई स्थगित की जाती है, परिवादी हाजिर नहीं होता है तो, मजिस्ट्रेट **परिवादी को उपस्थित होने के लिए तीस दिन का समय देने के पश्चात्** इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को दोषमुक्त कर देगा जब तक कि वह किन्हीं कारणों से किसी अन्य दिन के लिए मामले की सुनवाई स्थगित करना ठीक न समझे:, जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 256)
- **धारा 280 परिवाद को वापस लेना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 257)
- **धारा 281 कतिपय मामलों में कार्यवाही रोक देने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 258)
- **धारा 282 समन-मामलों को वारण्ट मामलों में संपरिवर्तित करने की न्यायालय की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 259)

# अध्याय - 22
# संक्षिप्त विचारण

- **धारा 283 संक्षिप्त विचारण करने की शक्ति**
- **उपधारा** (1) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी यदि, -

  (क) कोई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट;

  (ख) कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट;

  तो वह निम्नलिखित सब अपराधों का या उनमें से किसी का संक्षेपतः विचारण कर सकता है, -
- (i) **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 303 की उपधारा (2), धारा 305 या धारा 306 के** अधीन चोरी, जहां चुराई हुई सम्पत्ति **का मूल्य बीस हजार रुपए (द0प्र0सं0 की धारा 260 की उपधारा (1)(ii) सम्पत्ति का मूल्य दो हजार रूपये के स्थान पर)** से अधिक नहीं है;
- (ii) **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 की उपधारा (2)** के अधीन चोरी की सम्पत्ति को प्राप्त करना या रखे रखना, जहां ऐसी सम्पत्ति का मूल्य **बीस हजार रुपये (द0प्र0सं0 की धारा 260 की उपधारा (1)(iii) सम्पत्ति का मूल्य दो हजार रूपये के स्थान पर)** से अधिक नहीं है;
- (iii) **भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 317 की उपधारा (5)** के अधीन चुराई हुई सम्पत्ति को छिपाने या उसका व्ययन करने में सहायता करना, जहां ऐसी सम्पत्ति का **मूल्य बीस हजार रुपये (द0प्र0सं0 की धारा 260 की उपधारा (1)(iv) सम्पत्ति का मूल्य दो हजार रूपये के स्थान पर)** से अधिक नहीं है;
- उपधारा **(2) मजिस्ट्रेट अभियुक्त को सुनवाई को युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात्, ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसे सभी या किन्हीं अपराधों, जो मृत्यु, आजीवन कारावास या तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय नहीं हैं, का संक्षिप्त विचारण कर सकेगा :**
- **परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी मामले का संक्षिप्त विचारण करने के लिए किसी मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।**
- जोडा गया है, संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 260)

- **धारा 284 द्वितीय वर्ग के मजिस्ट्रेटों द्वारा संक्षिप्त विचारण में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 261)
- **धारा 285 संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 262)
- **धारा 286 संक्षिप्त विचारणों में अभिलेख** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 263)
- **धारा 287 संक्षेपतः विचारित मामलों में निर्णय में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 264)
- **धारा 288 अभिलेख और निर्णय की भाषा में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265)

# अध्याय – 23
# सौदा अभिवाक्

- **धारा 289 अध्याय का लागू होना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-क)
- **धारा 290 सौदा अभिवाक् के लिए आवेदन**
- उपधारा (1) किसी अपराध का अभियुक्त, **आरोप की विरचना किए जाने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर** व्यक्ति, सौदा अभिवाक् के लिए उस न्यायालय में आवेदन फाइल कर सकेगा जिसमें ऐसे अपराध का विचारण लंबित है।
- उपधारा (4) जहां उपधारा (3) के अधीन नियत तारीख को लोक अभियोजक या मामले का परिवादी और अभियुक्त हाजिर होते हैं, वहां न्यायालय अपना समाधान करने के लिए कि अभियुक्त ने आवेदन स्वेच्छा से दाखिल किया है, अभियुक्त की बंद कमरे में परीक्षा करेगा, जहां मामले का दूसरा पक्षकार उपस्थित नहीं होगा और जहां-
- (क) न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि वह आवेदन अभियुक्त द्वारा स्वेच्छा से फाइल किया गया है, वहां वह लोक अभियोजक या परिवादी और **अभियुक्त को मामले के पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए साठ दिन से अनधिक** का समय देगा जिसमें अभियुक्त द्वारा पीड़ित व्यक्ति को मामले के दौरान प्रतिकर और अन्य खर्च देना सम्मिलित है और तत्पश्चात् मामले की आगे की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा;, जोडा गया, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-ख)
- **धारा 291 पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-ग)

- **धारा 292 पारस्परिक संतोषप्रद निपटारे की रिपोर्ट का न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-घ)
- **धारा 293 मामले का निपटारा**
- **उपधारा** (ग) खण्ड (ख) के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, यदि न्यायालय की यह पता जंगमता है कि अभियुक्त द्वारा किए गए अपराध के लिए विधि में न्यूनतम दण्ड उपबंधित किया गया है तो वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दण्ड के आधे का दण्ड दे सकेगा और **जहां अभियुक्त प्रथम अपराधी है और पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है, वह अभियुक्त को ऐसे न्यूनतम दण्ड के एक चौथाई का दण्ड दे सकेगा;**
- उपधारा (घ) खण्ड (ख) के अधीन पक्षकारों को सुनने के पश्चात्, यदि न्यायालय को पता जंगमता है कि अभियुक्त द्वारा किया गया अपराध खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अन्तर्गत नहीं आता है तो वह अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए उपबंधित या बढ़ाए जा सकने वाले दण्ड के एक-चौथाई का दण्ड दे सकेगा और **जहां अभियुक्त प्रथम अपराधी है और पूर्व में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं ठहराया गया है, वह अभियुक्त को ऐसे अपराध के लिए उपबंधित या विस्तारणीय दण्ड के 1/6 का दण्ड दे सकेगा।, जोडा गया, धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-ङ)
- **धारा 294 न्यायालय का निर्णय में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-च)
- **धारा 295 निर्णय का अन्तिम होना में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-छ)
- **धारा 296 सौदा अभिवाक् में न्यायालय की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-ज)

- **धारा 297 अभियुक्त द्वारा भोगी गयी निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-झ)
- **धारा 298 व्यावृत्ति** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-ञ)
- **धारा 299 अभियुक्त के कथनों का उपयोग न किया जाना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-ट)
- **धारा 300 अध्याय का लागू न होना में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 265-ठ)

# अध्याय – 24
# कारागारों में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्तियों की हाजिरी

- **धारा 301 परिभाषाएं** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 266)
- **धारा 302 बन्दियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 267)
- **धारा 303 धारा 302 के प्रवर्तन से कतिपय व्यक्तियों को अपवर्जित करने की राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार की शक्ति** उपधारा (1) व (2) में केन्द्रीय सरकार को भी अधिकृत किया गया है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 268)
- **धारा 304 कारागार के भारसाधक अधिकारी का कतिपय आकस्मिकताओं में आदेश को कार्यान्वित न करना**
- उपधारा (घ) ऐसा व्यक्ति है जिसे **धारा 303** के अधीन राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिया गया कोई आदेश लागू होता है, जहां कारागार का भारसाधक अधिकारी न्यायालय के आदेश को कार्यान्वित नहीं करेगा और ऐसा न करने के कारणों का विवरण न्यायालय को भेजेगा :
- **परन्तु जहां ऐसे व्यक्ति से किसी ऐसे स्थान पर, जो कारागार से पच्चीस किलोमीटर से अधिक दूर नहीं है, साक्ष्य देने के लिए हाजिर होने की अपेक्षा की जाती है, वहां कारागार के भारसाधक अधिकारी के ऐसा न करने का कारण खण्ड (ख) में वर्णित कारण नहीं होगा।** जोडा गया है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 269)
- **धारा 305 बन्दी का न्यायालय में अभिरक्षा में लाया जाना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 270)
- **धारा 306 कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करने की शक्ति** में अध्याय व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 271)

# अध्याय – 25

# जांचों और विचारणों में साक्ष्य

## क- साक्ष्य लेने और अभिलिखित करने का ढंग

- **धारा 307 न्यायालयों की भाषा** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 272)
- धारा 308 **साक्ष्य का अभियुक्त की उपस्थिति में लिया जाना -** अभिव्यक्त रूप से जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, विचारण या अन्य कार्यवाही के अनुक्रम में लिया गया सब साक्ष्य अधिवक्ता की उपस्थिति में लिया जाएगा जिसके अन्तर्गत **राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले अभिहित स्थान पर श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधन से लिया गया साध्य भी है :** जोडा गया है, अध्याय का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 273)
- **धारा 309 समन-मामलों और जांचों में अभिलेख** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 274)
- **धारा 310 वारण्ट-मामलों में अभिलेख** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 275)
- **धारा 311 सेशन न्यायालय के समक्ष विचारण में अभिलेख** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 276)
- **धारा 312 साक्ष्य के अभिलेख की भाषा** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 277)

- **धारा 313 ऐसे साक्ष्य के पूरा होने पर उसके सम्बन्ध में प्रक्रिया** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 278)
- **धारा 314 अभियुक्त या उसके अधिवक्ता को साक्ष्य का भाषान्तर सुनाया जाना में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 279)
- **धारा 315 साक्षी की भावभंगी के बारे में टिप्पणियां में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 280)
- **धारा 316 अभियुक्त की परीक्षा का अभिलेख**
- उपधारा (4) तब उस पर अभियुक्त और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश हस्ताक्षर करेंगे और मजिस्ट्रेट या पीठासीन न्यायाधीश अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगा कि परीक्षा उसकी उपस्थिति में की गई थी और उसने उसे सुना था और अभिलेख में अभियुक्त द्वारा किए गए कथन का पूर्ण और सही वर्णन है :

**परन्तु कि जहाँ अभियुक्त अभिरक्षा में है तथा इलैक्ट्रानिक माध्यम से उसका परीक्षण किया जाता है, तो ऐसा परीक्षण से बहत्तर घंटे के भीतर उसके हस्ताक्षर लिए जाएंगे।** जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 281)

- **धारा 317 दुभाषिया ठीक-ठीक भाषान्तर करने के लिए आबद्ध होगा में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 282)
- **धारा 318 उच्च न्यायालय में अभिलेख में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 283)

# ख-साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन

- **धारा 319 साक्षियों को जब हाजिर होने से अभिमुक्ति दी जाए और कमीशन जारी किया जाएगा में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 284)
- **धारा 320 कमीशन किसको जारी किया जाएगा में** महानगर मजिस्ट्रेट पद को हटा दिया गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 285)
- **धारा 321 कमीशनों का निष्पादन में मुख्य** महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट पद को हटा दिया गया है तथा मजिस्ट्रेट पद को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 286)
- **धारा 322 पक्षकार साक्षियों की परीक्षा कर सकेंगे में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 287)
- **धारा 323 कमीशन का लौटाया जाना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 287)
- **धारा 324 कार्यवाही का स्थगन** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 288)
- **धारा 325 विदेशी कमीशनों का निष्पादन** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 289)
- **धारा 326 चिकित्सीय साक्षी का अभिसाक्ष्य में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 290)

- **धारा 327 मजिस्ट्रेट की शिनाख्त रिपोर्ट** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 291-क)
- **धारा 328 टकसाल के अधिकारियों का साक्ष्य** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 292)
- **धारा 329 कतिपय सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञों की रिपोर्ट** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 293)
- **धारा 330 कुछ दस्तावेजों का औपचारिक सबूत आवश्यक न होना**
- उपधारा (1) जहां अभियोजन या अभियुक्त द्वारा किसी न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेज फाइल किया गया है, वहां ऐसी प्रत्येक दस्तावेज की विशिष्टियां एक सूची में सम्मिलित किया जायेगा और अभियोजन या अभियुक्त **या** अभियोजन या अभियुक्त के **अधिवक्ता** से, यदि कोई हों, ऐसे दस्तावेजों की **पूर्ति करने के शीघ्र पश्चात् किसी भी दशा में ऐसी पूर्ति के पश्चात् तीस दिन के अपश्चात्,** ऐसे प्रत्येक दस्तावेज का असली होना स्वीकार या इंकार करने की अपेक्षा की जाएगी :

**परन्तु न्यायालय अपने विवेक से ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, समय सीमा को शिथिल कर सकेगा :**

**परन्तु यह और कि किसी विशेषज्ञ को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के लिए जब तक नहीं बुलाया जाएगा तब तक ऐसे विशेषज्ञ की रिपोर्ट पर विचारण के किसी पक्षकार द्वारा विवाद नहीं किया जाता है।**

- उपधारा (2) दस्तावेजों की सूची ऐसे प्ररूप में होगी जो राज्य सरकार **नियमों द्वारा उपबंधित** किया जा सके। को जोडा गया है, शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 294)

- **धारा 331 लोक सेवकों के आचरण के सबूत के बारे में शपथपत्र** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 295)
- **धारा 332 शपथपत्र पर औपचारिक साक्ष्य** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 296)
- **धारा 333 प्राधिकारी जिनके समक्ष शपथपत्रों पर शपथ ग्रहण किया जा सकेगा** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 297)
- **धारा 334 पूर्व दोषसिद्धि या दोषमुक्ति कैसे साबित की जाए** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 298)
- धारा 335 **अभियुक्त की अनुपस्थिति में साक्ष्य का अभिलेख**
- **धारा 336 कतिपय मामलों में लोक सेवकों, विशेषज्ञों, पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य -** जहां लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार किया गया कोई दस्तावेज या रिपोर्ट, इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या किसी अन्य कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में प्रयुक्त किए जाने के लिए तात्पर्थित है, और-
- (i) ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी, या तो स्थानान्तरित, सेवानिवृत्त हो जाता है या मर जाता है; या
- (ii) ऐसा लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी, पाया नहीं जा सकता है या अभिसाक्ष्य देने के लिए असमर्थ है; या
- (iii) ऐसे लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी जो जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही करने में देरी करते हैं की संरक्षा;
- तो न्यायालय, ऐसे दस्तावेज या रिपोर्ट पर अभिसाक्ष्य देने के लिए ऐसे अधिकारी, विशेषज्ञ या लोक सेवक के उत्तरजीवी अधिकारी जो ऐसे अभिसाक्ष्य के समय पर धारण किए हुए हैं, को सुनिश्चित करेगा :
- परन्तु किसी भी लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने के लिए तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक कि ऐसे लोक सेवक, वैज्ञानिक विशेषज्ञ या चिकित्सा अधिकारी की रिपोर्ट पर विचारण या अन्य कार्यवाहियों के पक्षकारों में से किसी के द्वारा उस पर विवाद नहीं किया गया है:
- परन्तु यह और कि ऐसे उत्तरवर्ती लोक सेवक, विशेषज्ञ या अधिकारी के अभिसाक्ष्य को श्रव्य-दृव्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से भी अनुज्ञात किया जा सकेगा। (नया जोडा गया है। )

## अध्याय – 26

## जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबन्ध

- **धारा 337 एक बार दोषसिद्ध या दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारण न किया जाना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 300)
- **धारा 338 लोक अभियोजकों द्वारा हाजिरी** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 301)
- **धारा 339 अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 302)
- **धारा 340 जिस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 303)
- **धारा 341 कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता** में प्लीडर के स्थान पर अधिवक्ता पद को जोडा गया है तथा उपधारा (1) में अपील पद को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 304)
- **धारा 342 प्रक्रिया, जब निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त है** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 305)
- **धारा 343 सह-अपराधी को क्षमा-दान** उपधारा (2) यह धारा निम्नलिखित को लागू होती है :
- (क) अनन्यतः सेशन न्यायालय द्वारा या **तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन** नियुक्त विशेष न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध; को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 306)

- **धारा 344 क्षमा-दान का निदेश देने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 307)
- **धारा 345 क्षमा की शर्तों का पालन न करने वाले व्यक्ति का विचारण** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 308)
- **धारा 346 कार्यवाही को मुल्तवी या स्थगित करने की शक्ति**
- उपधारा 2(क) कोई भी स्थगन किसी पक्षकार के अनुरोध पर **तभी मंजूर किया** जाएगा, जब परिस्थितियां उस पक्षकार के नियंत्रण से परे हों;
- उपधारा 2(ख) **जहां परिस्थितियां पक्षकार के नियंत्रण से बाहर है, न्यायालय द्वारा अन्य पक्षकारों के आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् और ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, दो से अनधिक स्थगन प्रदान किया जा सकेगा;** जोडा गया है तथा संहिता का नाम व धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 309)
- **धारा 347 स्थानीय निरीक्षण** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 310)
- **धारा 348 आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित व्यक्ति की परीक्षा करने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 311)
- **धारा 349 नमूना हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिये किसी व्यक्ति को आदेश देने की मजिस्ट्रेट की शक्ति** में अंगुली के निशान और आवाज का सैंपल लिये जाने के प्रावधान को जोडनें के साथ साथ
- **परन्तु यह और कि मजिस्ट्रेट ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, किसी अन्य व्यक्ति को गिरफ्तार किए बिना ऐसा नमूना या प्रतिदर्श देने के लिए आदेश कर सकेगा : को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है।** (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 311-क)

- **धारा 350 परिवादियों और साक्षियों के व्यय** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 312)
- **धारा 351 अभियुक्त की परीक्षा करने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 313)
- **धारा 352 मौखिक बहस और बहस का ज्ञापन** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 314)
- **धारा 353 अभियुक्त व्यक्ति का सक्षम साक्षी होना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 315)
- **धारा 354 कटन उत्प्रेरित करने के लिए किसी प्रभाव का काम में न लाया जाना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 316)
- **धारा 355 कुछ मामलों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में जांच और विचारण किए जाने के लिए उपबन्ध**
- **स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए अभियुक्त की वैयक्तिक उपस्थिति में श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से उपस्थिति भी सम्मिलित है।** जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 317)

- धारा 356 उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जांच, विचारण और निर्णय - (1) इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब किसी व्यक्ति को उद्घोषित अपराधी घोषित किया जाता है, चाहे उस पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया गया हो या नहीं, विचारण की वंचना करने के लिए करार है और उसे गिरफ्तार करने का कोई अव्यवहित पूर्वेक्षण नहीं है, इसे ऐसे व्यक्ति के उपस्थित होने और वैयक्तिक विचारण के अधिकार के अभित्याग के रूप में प्रवर्तित होना समझा जाएगा और न्यायालय ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं न्याय हित में ऐसी रीति में और ऐसे प्रभाव के साथ, जैसे कि वह उपस्थित था, इस संहिता के अधीन विचारण के लिए अग्रसर होगा और निर्णय सुनाएगा
- परन्तु न्यायालय जब तक विचारण प्रारम्भ नहीं करेगा, तब तक कि आरोप की विरचना की तारीख से नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति नहीं हो जाती है।
- (2) न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि आगामी प्रक्रिया का उपधारा (1) के अधीन कार्यवाहियों से पहले अनुपालन किया गया है, अर्थात् : -
- (i) कम से कम तीस दिन के अंतराल पर लगातार दो गिरफ्तारी वारंटों को जारी करना;
- (ii) उद्घोषित अपराधी से विचारण के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने की अपेक्षा करते हुए और उसे सूचना देते हुए कि यदि वह ऐसे प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत होने में असफल रहता है, तो उसकी अनुपस्थिति में विचारण किया जाएगा, उसके अन्तिम ज्ञात निवास स्थान पर परिचालित राष्ट्रीय या स्थानीय दैनिक समाचार में प्रकाशन;
- (iii) उसके नातेदार या मित्र को विचारण के प्रारम्भ होने के बारे में सूचना, यदि कोई हो; और
- (iv) उस गृह या वास स्थान, जिसमें ऐसा व्यक्ति मामूली तौर पर निवास करता है के किसी सहजदृश्य स्थान पर विचारण के प्रारम्भ होने के बारे में सूचना चिपकाना और उसके अन्तिम ज्ञात निवास के जिले के पुलिस स्टेशन में प्रदर्शन।

- (3) जहां उद्घोषित अपराधी का किसी अधिवक्ता द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, तो उसके लिए राज्य के व्यय पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए एक अधिवक्ता का प्रबन्ध किया जाएगा।
- (4) जहां मामले का विचारण करने या विचारण के लिए सुपुर्दगी के लिए सक्षम न्यायालय ने अभियोजन के लिए किन्हीं साक्षियों की परीक्षा की है और उनके अभिसाक्ष्यों को अभिलिखित किया है, ऐसे अभिसाक्ष्य, ऐसे अपराध जिसके लिए उद्घोषित अपराधी को आरोपित किया गया है, की जांच या विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य में दिए जाएंगे :
- परन्तु यदि उद्घोषित अपराधी ऐसे विचारण के दौरान गिरफ्तार किया जाता है या न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित होता है, न्यायालय न्याय हित में उसे किसी ऐसे साक्ष्य, जो उसकी अनुपस्थिति में लिया जाता है, की परीक्षा करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।
- (5) जहां विचारण इस धारा के अधीन व्यक्ति से सम्बन्धित है, तो साक्षियों का अभिसाक्ष्य और परीक्षा जहां तक व्यवहार्य हो, श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों, अधिमानतः मोबाइल द्वारा अभिलिखित की जा सकेगी और ऐसी रिकार्डिंग ऐसी रीति में रखी जाएगी, जो न्यायालय निदेश दे।
- (6) इस संहिता के अधीन अपराधों के अभियोजन में, उपधारा (1) के अधीन विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात्, अभियुक्त की स्वेच्छया अनुपस्थिति, विचारण जिसके अन्तर्गत निर्णय सुनाया जाना भी है, जारी रहने को नहीं रोकेगी, यद्यपि वह ऐसे विचारण की समाप्ति पर गिरफ्तार और प्रस्तुत किया जाता है या उपस्थित होता है।
- (7) इस धारा के अधीन किए गए निर्णय के विरुद्ध तब तक अपील नहीं होगी जब तक उद्घोषित अपराधी स्वयं को अपीलीय न्यायालय के समक्ष स्वयं को उपस्थित नहीं कर देता : परन्तु दोषसिद्धि के विरुद्ध कोई अपील निर्णय की तारीख से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं होगी।
- (8) राज्य अधिसूचना द्वारा धारा 84 की उपधारा (1) में उल्लिखित किसी फरार व्यक्ति पर इस धारा के उपबन्धों का विस्तार कर सकेगी।

- **धारा 357 प्रक्रिया जहां अभियुक्त कार्यवाहियों को नहीं समझता है** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 318)
- **धारा 358 अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 319)
- **धारा 359 अपराधों का शमन**
- उपधारा (4)(क) जब वह व्यक्ति, जो इस धारा के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता, **बालक है या विकृत चित्त (द0प्र0सं0 की धारा 320 की उपधारा 4(क) में 18 वर्ष से कम आयु के स्थान पर)** है, तब कोई व्यक्ति जो उसकी ओर से संविदा करने के लिए सक्षम हो, न्यायालय की अनुज्ञा से, ऐसे अपराध का शमन कर सकता है। जोडा गया है, धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 320)
- **धारा 360 अभियोजन वापस लेना**
- उपधारा (ख) (ii) ऐसे अपराध का अन्वेषण **किसी केन्द्रीय अधिनियम** (द0प्र0सं0 की धारा ख(2) में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 (1946 का 25) के स्थान पर) के अधीन किया गया है, या
- **परन्तु यह और कि कोई न्यायालय उस मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी वापसी अनुज्ञात नहीं करेगा।** जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 321)

- **धारा 361 जिन मामलों का निपटारा मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता, उनमें प्रक्रिया** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 322)
- **धारा 362 प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारम्भ के पश्चात् मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला सुपुर्द किया जाना चाहिए** में अध्याय का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 323)
- **धारा 363 सिक्के, स्टाम्प विधि या सम्पत्ति के विरुद्ध अपराधों के लिए पूर्व में दोषसिद्ध व्यक्तियों हा विचारण** में संहिता का नाम, अध्याय व धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 324)
- **धारा 364 प्रक्रिया, जब मजिस्ट्रेट पर्याप्त कठोर दण्ड का आदेश नहीं दे सकता** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है, जमानतपत्र पद को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 325)
- **धारा 365 भागतः एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 326)
- **धारा 366 न्यायालयों का खुला होना  की उपधारा (2) में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 4, धारा 6, धारा 8 या धारा 10** को जोडा गया है, तथा संहिता का नाम व धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 327)

# अध्याय - 27
# विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्तियों के बारे में उपबन्ध

- **धारा 367 अभियुक्त के विकृत चित्त व्यक्ति होने की दशा में प्रक्रिया** की उपधारा (5) में **बौद्धिक दिव्यांगता** (द0प्र0सं0 की धारा 328 की उपधारा (5) में अंकित **मानसिक मंदता** के स्थान पर) को जोडा गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 328)
- **धारा 368 न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 329)
- **धारा 369 अन्वेषण या विचारण के लम्बित रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना**
- **उपधारा (2) के परन्तुक में लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन** (द0प्र0सं0 की धारा 330 की उपधारा (2) के परन्तु क में अंकित पागलखाने के स्थान पर) एवं **मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10)** (द0प्र0सं0 की धारा 330 की उपधारा (2) के परन्तुक में अंकित मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987 (1987 का 14) के स्थान पर) जोडा गया है,
- उपधारा (3) में बौद्धिक दिव्यांगता (द0प्र0सं0 की धारा 330 की उपधारा (3) में अंकित मानसिक मंदता के स्थान पर) को जोडा गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 330)
- **धारा 370 जांच या विचारण को पुनः चालू करना में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 331)

- धारा 371 **मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने पर प्रक्रिया में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 332)
- धारा 372 **जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ-चित्त रहा है में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 333)
- धारा 373 **चित्त-विकृति के आधार पर दोषमुक्ति का निर्णय में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 334)
- धारा 374 **चित्त-विकृति के आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना**
- उपधारा (2) में **लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन** (द0प्र0सं0 की धारा 335 की उपधारा (2) में अंकित पागलखाने के स्थान पर) एवं **मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10)** (द0प्र0सं0 की धारा 335 की उपधारा (2) में अंकित भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) के स्थान पर) जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 335)
- **धारा 375 भारसाधक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है शेष कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 336)
- **धारा 376 जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि विकृत चित्त बन्दी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहां प्रक्रिया** में **मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 2017 (2017 का 10) पद** (द0प्र0सं0 की धारा 337 में अंकित पागलखाने के स्थान पर) तथा **गठित मानसिक स्वास्थ्य समीक्षा बोर्ड, द्वारा प्रमाणित करने** के प्रावधान को जोडा गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 337)

- **धारा 377 जहां निरुद्ध विकृत चित्त व्यक्ति छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहां प्रक्रिया** की उपधारा (1) में लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन पद (द0प्र0सं0 की धारा 338 की उपधारा (1) में पागलखाने के स्थान पर) को जोडा गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 338)
- **धारा 378 नातेदार या मित्र की देख-रेख के लिए विकृत चित्त व्यक्ति का सौंपा जाना** में विकृत चित्त पद (द0प्र0सं0 की धारा 339 में अंकित पागल के स्थान पर) को जोडा गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 339)

# अध्याय – 28
# न्याय-प्रशासन पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के बारे में उपबन्ध

- **धारा 379 धारा 215 में वर्णित मामलों में प्रक्रिया में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 340)
- **धारा 380 अपील में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 341)
- **धारा 381 खर्च का आदेश देने की शक्ति में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 342)
- **धारा 382 जहां मजिस्ट्रेट संज्ञान करे, वहां प्रक्रिया में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 343)
- **धारा 383 मिध्या साक्ष्य देने पर विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया**
- उपधारा (1) में जुर्माना से जो एक हजार रूपये (द0प्र0सं0 की धारा 344 की उपधारा 1 में अंकित पांच सौ रूपये के स्थान पर) तक हो सकेगा, को जोडा गया है धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 344)
- **धारा 384 अवमान के कुछ मामलों में प्रक्रिया**
- उपधारा (1) में जुर्माना एक हजार रूपये से अनधिक (द0प्र0सं0 की धारा 345 की उपधारा 1 में अंकित दो सौ रूपये के स्थान पर), को जोडा गया है धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 345)

- धारा 385 **जहां न्यायालय का विचार है कि मामले में धारा 384 के अधीन कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए, वहां प्रक्रिया में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 346)
- **धारा 386 रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार कब सिविल न्यायालय समझा जाएगा में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 347)
- **धारा 387 माफी मांगने पर अपराधी का उन्मोचन में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 348)
- **धारा 388 उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इन्कार करने वाले व्यक्ति को कारावास या उसकी सुपुर्दगी में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 349)
- **धारा 389 समन के पालन में साक्षी के हाजिर न होने पर उसे दण्डित करने के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 350)
- **धारा 390 धारा 383, धारा 384, धारा 388 और धारा 389 के अधीन दोषसिद्धियों से अपीलें में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 351)
- **धारा 391 कुछ न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों के समक्ष किए गए अपराधों का उनके द्वारा विचारण न किया जाना में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 352)

# अध्याय – 29
# निर्णय

- **धारा 392 निर्णय** की उपधारा (1) में दण्ड न्यायालय द्वारा विचारण खत्म होने के तुरन्त या बाद में निर्णय दिये जाने के संबंध में पैंतालीस दिन से अनधिक किसी समय पक्षकारो या उनके अधिवक्ताओं को सूचना दिये जाने का प्रावधान जोडा गया है।
- उपधारा (4) जहां निर्णय उपधारा (1) के खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट रीति से सुनाया जाता है, वहां सम्पूर्ण निर्णय या उसकी एक प्रतिलिपि पक्षकारों या उनके अधिवक्ताओं के परिशीलन के लिए तुरन्त निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी :

**परन्तु यह कि न्यायालय जहां तक सम्भव हो निर्णय की तारीख से सात दिन की अवधि के भीतर अपने पोर्टल पर निर्णय की प्रति अपलोड करेगा।**

- उपधारा (5) यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए या तो उसे **व्यक्तिगत रूप से या श्रव्य-दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से,** लाया जाएगा।, को जोडा गया है, तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 353)
- **धारा 393 निर्णय की भाषा और अन्तर्वस्तु में** धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 354)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में द0प्र0सं0 की धारा 355 महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय को हटा दिया गया है।

- **धारा 394 पूर्वतन सिद्धदोष अपराधी को अपने पते की सूचना देने का आदेश** में द0प्र0सं0 की धारा 356 की उपधारा (1) में अंकित भारतीय दण्ड संहिता 1860 का 45 की धारा 215, 489क,489ख,489ग, या 489घ या 506 जहां तक वह आपराधिक अभित्रास से संबंधित है जो ऐसे कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी या जुर्माने से या दोनो से दण्डनीय हों के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए या उसी संहिता के अध्याय 12 या अध्याय 16 या 17 के अधीन, तथा उन धाराओं में से किसी के अधीन दण्डनीय है या उन अध्यायो मे से किसी के अधीन, वाक्यांश को हटा दिया गया है। अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 356)
- **धारा 395 प्रतिकर देने का आदेश में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 357)
- **धारा 396 पीड़ित प्रतिकर स्कीम** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 357-क)
- **धारा 397 पीड़ितों का उपचार** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है तथा **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (2012 का 32) की धारा 4, धारा 6, धारा 8 या धारा 10** को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 357-ग)
- **धारा 398 साक्षी संरक्षण स्कीम -** प्रत्येक राज्य सरकार, साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुए राज्य के लिए साक्षी सुरक्षा स्कीम तैयार करेगी और अधिसूचित करेगी। (नया जोडा गया है)
- **धारा 399 निराधार गिरफ्तार करवाए गए व्यक्तियों को प्रतिकर में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 358)
- **धारा 400 असंज्ञेय मामलों में खर्चा देने के लिए आदेश में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 359)
- धारा 401 **सदाचरण की परिवीक्षा पर या भर्त्सना के पश्चात् छोड़ देने का आदेश** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है, तथा जमानतपत्र पद को जोडा गया है , अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 360)

- **धारा 402 कुछ मामलों में विशेष कारणों का अभिलिखित किया जाना में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 361)
- धारा 403 **न्यायालय का अपने निर्णय में परिवर्तन न करना में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 362)
- धारा 404 **अभियुक्त और अन्य व्यक्तियों को निर्णय की प्रति का दिया जाना**
- **उपधारा** (5) उपधारा (2) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय, किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा पारित निर्णय या आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्ति को, इस निमित्त आवेदन करने पर और विहित प्रभार देने पर ऐसे निर्णय या आदेश की या किसी अभिसाक्ष्य की या अभिलेख के अन्य भाग की प्रति दी जाएगी : परन्तु यदि न्यायालय किन्हीं विशेष कारणों से ठीक समझता है तो उसे वह निःशुल्क भी दे सकता है :
- **परन्तु यह और कि न्यायालय राज्य सरकार को अभियोजन अधिकारी द्वारा इस निमित किए गए आवेदन पर ऐसे निर्णय, आदेश, अभिसाक्ष्य या अभिलेख की विहित पृष्ठांकन सहित, सत्यापित प्रति निःशुल्क उपलब्ध कराएगा।** को जोडा गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 363)
- **धारा 405 निर्णय का अनुवाद कब किया जाएगा** मूल निर्णय कार्यवाही के अभिलेख में फाइल किया जाएगा और जहाँ मूल निर्णय ऐसी भाषा में अभिलिखित किया गया है जो न्यायालय की भाषा से भिन्न है और **यदि दोनों में से कोई एक पक्षकार** अपेक्षा करता है तो न्यायालय की भाषा में उसका अनुवाद अभिलेख में जोड़ दिया जाएगा। को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 364)
- **धारा 406 सेशन न्यायालय द्वारा निष्कर्ष और दण्डादेश की प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजना में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 365)

# अध्याय – 30

# मृत्यु दण्डादेशों की पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना

- धारा 407 **सेशन न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश का पुष्टि के लिए प्रस्तुत किया जाना** (1) जब सेशन न्यायालय मृत्यु दण्डादेश देता है तब कार्यवाही उच्च न्यायालय को तुरन्त प्रस्तुत की जाएगी और दण्डादेश तब तक निष्पादित न किया जाएगा जब तक वह उच्च न्यायालय द्वारा पुष्ट न कर दिया जाए।
- (2) दण्डादेश पारित करने वाला न्यायालय वारण्ट के अधीन दोषसिद्ध व्यक्ति को जेल की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करेगा।**,** को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 366)
- **धारा 408 अतिरिक्त जांच किए जाने के लिए या अतिरिक्त साक्ष्य लिए जाने के लिएनिर्देश देने की शक्ति में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 367)
- **धारा 409 दण्डादेश को पुष्ट करने या दोषसिद्धि को बातिल करने की उच्च न्यायालय की शक्ति में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 368)
- **धारा 410 दण्डादेश की पुष्टि या नए दण्डादेश का दो न्यायाधीशों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 369)
- **धारा 411 मतभेद की दशा में प्रक्रिया में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 370)
- **धारा 412 उच्च न्यायालय की पुष्टि के लिए प्रस्तुत मामलों में प्रक्रिया -** मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को सेशन न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के आदेश या अन्य आदेश के दिए जाने के पश्चात् उच्च न्यायालय का समुचित अधिकारी विलम्ब के बिना, आदेश की प्रतिलिपि **या तो भौतिक रूप से या इलैक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से** उच्च न्यायालय की मुद्रा लगाकर और अपने पदीय हस्ताक्षरों से अनुप्रमाणित करके सेशन न्यायालय को भेजेगा।, को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 371)

# अध्याय – 31
# अपीलें

- **धारा 413 जब तक अन्यथा उपबन्धित न हो किसी अपील का न होना में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 372)
- **धारा 414 परिशान्ति कायम रखने या सदाचार के लिए प्रतिभूति अपेक्षित करने वाले या प्रतिभू स्वीकार करने से इन्कार करने वाले या अस्वीकार करने वाले आदेश से अपील** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 372)
- **धारा 415 दोषसिद्धि से अपील में संहिता का नाम,** धारा का क्रमांक परिवर्तित है तथा द0प्र0सं0 की धारा 374 में महानगर मजिस्ट्रेट या सहायक सेशन न्यायाधीश को हटा दिया गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 374)
- **धारा 416 कुछ मामलों में जब अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करे, अपील न होना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 375)
- **धारा 417 छोटे मामलों में अपील न होना धारा 415** में किसी बात के होते हुए भी, दोषसिद्ध व्यक्ति द्वारा कोई अपील निम्नलिखित में से किसी मामले में न होगी, अर्थात्:-
- (क) जहाँ उच्च न्यायालय **केवल तीन मास से अनधिक** (द0प्र0सं0 की उपधारा (क) में अंकित छः मास से अनधिक के स्थान पर) की अवधि के कारावास का या एक हजार रुपए से अनधिक जुर्माने का या ऐसे कारावास और जुर्माने दोनों का, दण्डादेश पारित करता है;, को जोडा गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 376)

- **धारा 418 राज्य सरकार द्वारा दण्डादेश के विरुद्ध अपील** की उपधारा (2) में द0प्र0सं0 की धारा 377 की उपधारा (2) में अंकित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 (1946 का 25) के स्थान पर किसी केन्द्रीय अधिनियम पद को जोडा गया है, तथा संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 377)
- **धारा 419 दोषमुक्ति की दशा में अपील** की उपधारा (2) में द0प्र0सं0 की धारा 378 की उपधारा (2) में अंकित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम 1946 (1946 का 25) के स्थान पर किसी केन्द्रीय अधिनियम पद को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 378)
- **धारा 420 कुछ मामलों में उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने के विरुद्ध अपील में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 379)
- **धारा 421 कुछ मामलों में अपील करने का विशेष अधिकार में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 380)
- धारा 422 **सेशन न्यायालय में की गई अपीलें कैसे सुनी जाएंगी** की उपधारा (2) में द0प्र0सं0 की धारा 381 की उपधारा (2) में अंकित सहायक सेशन न्यायाधीश पद को हटा दिया गया है। अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 381)
- **धारा 423 अपील की अर्जी में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 382)
- **धारा 424 जब अपीलार्थी जेल में है तब प्रक्रिया में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 383)
- **धारा 425 अपील का संक्षेपतः खारिज किया जाना में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 384)

- धारा 426 **संक्षेपतः खारिज न की गई अपीलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 385)
- **धारा 427 अपीलीय न्यायालय की शक्तियाँ में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 386)
- **धारा 428 अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के निर्णय में** अध्याय का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 387)
- **धारा 429 अपील में उच्च न्यायालय के आदेश का प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 388)
- **धारा 430 अपील लम्बित रहने तक दण्डादेश का निलम्बन, अपीलार्थी का जमानत पर छोड़ा जाना** की उपधारा (1) में जमानतपत्र पद को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 389)
- **धारा 431 दोषमुक्ति से अपील में अभियुक्त की गिरफ्तारी में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 390)
- **धारा 432 अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य ले सकेगा या उसके लिए जाने का निर्देश दे सकेगा में** अध्याय का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 391)
- **धारा 433 जहाँ अपीली न्यायालय के न्यायाधीश की राय के बारे में समान रूप में विभाजित हों, वहाँ प्रक्रिया में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 392)
- **धारा 434 अपील पर आदेशों और निर्णयों का अन्तिम होना में अध्याय व** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 393)
- **धारा 435 अपीलों का उपशमन में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 394)

# अध्याय – 32
# निर्देश और पुनरीक्षण

- धारा 436 **उच्च न्यायालय को निर्देश** की उपधारा (2) में द0प्र0सं0 की धारा 395 की उपधारा (2) में अंकित महानगर मजिस्ट्रेट पद को हटा दिया गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 395)
- **धारा 437 उच्च न्यायालय के विनिश्चय के अनुसार मामले का निपटारा में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 396)
- **धारा 438 पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अभिलेख मंगाना में** जमानतपत्र पद को जोडा गया है, धारा का क्रमांक परिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 397)
- **धारा 439 जांच करने का आदेश देने की शक्ति में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 398)
- **धारा 440 सेशन न्यायाधीश की पुनरीक्षण की शक्तियाँ में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 399)
- **धारा 441 अपर सेशन न्यायाधीश की शक्ति में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 400)
- **धारा 442 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण की शक्तियाँ में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 401)
- **धारा 443 उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण के मामलों को वापस लेने या अन्तरित करने की शक्ति में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 402)

- धारा 444 **पक्षकारों को सुनने का न्यायालय का विकल्प में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 403)
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में द0प्र0सं0 की धारा 404 महानगर मजिस्ट्रेट के विनिश्चय के आधारों के कथन पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया जाना, को हटा दिया गया है।
- **धारा 445 उच्च न्यायालय के आदेश को प्रमाणित करके निचले न्यायालय को भेजा जाना में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है, कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 405)

# अध्याय – 33
# आपराधिक मामलों का अन्तरण

- धारा 446 **मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 406)
- **धारा 447 मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की उच्च न्यायालय की शक्ति** की उपधारा (7) में द0प्र0सं0 की धारा 407 की उपधारा (7) में अंकित एक हजार रूपये से अनाधिक राशि को हटा दिया गया है तथा उपधारा (4) में जमानतपत्र पद को जोडा गया है। धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 407)
- **धारा 448 मामलों और अपीलों को अन्तरित करने की सेशन न्यायाधीश की शक्ति** की उपधारा (3) **धारा 447** की उपधारा (3), उपधारा (4), उपधारा (5), उपधारा (6) उपधारा (7) और उपधारा (9) के उपबन्ध उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश के लिए सेशन न्यायाधीश को आवेदन के संबंध में वैसे ही लागू होंगे, जैसे वे **धारा 447** की उपधारा (1) के अधीन आदेश के लिए उच्च न्यायालय को आवेदन के संबंध में लागू होते हैं, सिवाय इसके कि उस धारा की उपधारा (7) इस प्रकार लागू होगी, मानो उसमें आने वाली "राशि" (द0प्र0सं0 की धारा 408 की उपधारा (3) में अंकित एक हजार रूपये के स्थान पर) शब्द के स्थान पर **"दस हजार रुपए से अनधिक की राशि"** (द0प्र0सं0 की धारा 408 की उपधारा (3) में अंकित दो सौ पचास रूपये के स्थान पर) शब्द रख दिए गए हैं। में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 408)
- **धारा 449 सेशन न्यायाधीशों द्वारा मामलों और अपीलों का वापस लिया जाना में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 409)

- धारा 450 **न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का वापस लिया जाना में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 410)
- **धारा 451 कार्यपालक मजिस्ट्रेटों द्वारा मामलों का हवाले किया जाना या वापस लिया जाना में** कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 411)
- **धारा 452 कारणों का अभिलिखित किया जाना** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 412)

# अध्याय – 34

# दण्डादेशों का निष्पादन, निलम्बन, परिहार और लघुकरण

## क-मृत्यु दण्डादेश

- धारा 453 **धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 413)
- धारा 454 **उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मृत्यु दण्डादेश का निष्पादन** में कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 414)
- **धारा 455 उच्चतम न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन का मुल्तवी किया जाना** में कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 415)
- **धारा 456 गर्भवती महिला को मृत्यु दण्ड का लघुकरण किया जाना** में यदि वह स्त्री, जिसे मृत्यु दण्डादेश दिया गया है, गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दण्डादेश को आजीवन कारावास के रूप में **लघुकरण कर देगा (द0प्र0सं0 की धारा 416 में अंकित लघुकरण कर सकेगा** के स्थान पर)। अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 416)

# ख-कारावास

- धारा 457 **कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 417)
- धारा 458 **कारावास के दण्डादेश का निष्पादन** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 418)
- धारा 459 **निष्पादन के लिए वारण्ट का निदेशन** में कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 419)
- **धारा 460 वारण्ट किसको सौंपा जाएगा** में कोई परिवर्तन नही है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 420)

# ग- जुर्माने का उद्ग्रहण

- धारा 461 **जुर्माना उद्गृहीत करने के लिए बारण्ट-** (1) जब किसी अपराधी को जुर्माने का **संदाय** करने के लिए दिया गया है, **किन्तु ऐसा संदाय नहीं किया गया है**, तब दण्डादेश देने वाला न्यायालय निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों प्रकार से जुर्माने की वसूली के लिए कार्यवाही कर सकेगा, जोडा गया तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 421)
- **धारा 462 ऐसे वारण्ट का प्रभाव में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 422)
- **धारा 463 जुर्माने के उद्ग्रहण के लिए किसी ऐसे राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा, जिस पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, जारी किया गया वारण्ट में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 423)
- **धारा 464 कारावास के दण्डादेश के निष्पादन का निलम्बन** की उपधारा (1)(ख) में जमानतपत्र पद को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 424)

# घ-निष्पादन के बारे में साधारण उपबन्ध

- धारा 465 **वारण्ट कौन जारी कर सकेगा में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 425)
- **धारा 466 निकल भागे सिद्धदोष पर दण्डादेश कब प्रभावशील होगा में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 426)
- **धारा 467 ऐसे अपराधी को दण्डादेश जो अन्य अपराध के लिए पहले से दण्डादिष्ट है में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 427)
- **धारा 468 अभियुक्त द्वारा भोगी गई निरोध की अवधि का कारावास के दण्डादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 428)
- **धारा 469 व्यावृत्तिन में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 429)
- **धारा 470 दण्डादेश के निष्पादन पर वारण्ट का लौटाया जाना में** कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 430)
- **धारा 471 जिस धन का संदाय करने का आदेश दिया गया है उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकना में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 431)

# ङ- दण्डादेश का निलंबन, परिहार और लघुकरण

- धारा 472 मृत्यु दण्डादेश मामलों में दया याचिका - (1) मृत्यु दण्डादेश के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया कोई व्यक्ति या उसका विधिक उत्तराधिकारी या कोई अन्य संबंधी, यदि उसने पहले से दया याचिका प्रस्तुत नहीं की है, तो वह संविधान के अनुच्छेद 72 के अधीन भारत के राष्ट्रपति या अनुच्छेद 161 के अधीन राज्य के राज्यपाल के समक्ष दया याचिका फाइल कर सकेगा, जो ऐसी तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, जिसको जेल अधीक्षक-
- (1) उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील, पुनर्विलोकन या विशेष इजाजत अपील के निरस्त करने के बारे में उसे सूचित करता है; या
- (ii) उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि की तारीख के बारे में और उच्चतम न्यायालय में कोई अपील या विशेष इजाजत फाइल करना की अनुज्ञात समाप्त हो गई है, सूचित करता है।
- (2) उपधारा (1) के अधीन याचिका आरम्भ में राज्यपाल को की जा सकेगी और राज्यपाल द्वारा उसके निरस्त करने या निपटाए किए जाने पर, ऐसी याचिका के निरस्त या निपटारा किये जाने करने की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर राष्ट्रपति को की जाएगी।
- (3) जेल अधीक्षक या जेल प्रभारी सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक सिद्धदोष, एक से अधिक सिद्धदोष होने को दशा में साठ दिन की अवधि के भीतर दया याचिका प्रस्तुत करे और अन्य सिद्धदोषों से ऐसी याचिका प्राप्त न होने की दशा में, जेल का अधीक्षक, नाम, पता, मामले के अभिलेख की प्रति और मामले के सभी अन्य ब्यौरे उक्त दया याचिका साथ विचार के लिए केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को भेजेगा।

- (4) केन्द्रीय सरकार, दया याचिका की प्राप्ति पर राज्य सरकार से टिप्पणियां मांगेगी और मामले के अभिलेख सहित याचिका पर विचार करेगी तथा राज्य सरकारी की टिप्पणियों और जेल अधीक्षक से अभिलेखों की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर यथा संभवशीघ्र इस निमित्त राष्ट्रपति को सिफारिश करेगी।
- (5) राष्ट्रपति, दया याचिका पर विचार, विनिश्चय और निपटान कर सकेगा तथा किसी मामले में यदि एक से अधिक सिद्धदोष हैं तो, याचिकाएं न्यायहित में एक साथ राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चित की जाएंगी।
- (6) केन्द्रीय सरकार, दया याचिका पर राष्ट्रपति के आदेश की प्राप्ति पर, राज्य के गृह विभाग और जेल अधीक्षक या जेल के प्रभारी को उसे अड़तालीस घण्टे के भीतर संसूचित करेगी।
- (7) संविधान के अनुच्छेद 72 या अनुच्छेद 161 के अधीन राष्ट्रपति या राज्यपाल के आदेश के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील नहीं होगी और यह अंतिम होगा तथा राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा विनिश्चय पर पहुंचने के किसी प्रश्न पर किसी न्यायालय में कोई जांच नहीं की जाएगी। **(यह धारा नयी जोडी गयी है )**
- **धारा 473 दण्डादेशों का निलम्बन या परिहार करने की शक्ति** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 432)

- धारा 474 **दण्डादेश लघुकरण करने की शक्ति** समुचित सरकार दण्डादेश प्राप्त व्यक्ति की सम्मति के बिना,-
- (क) मृत्यु दण्डादेश को **आजीवन कारावास के लिए;** (द0प्र0सं0 की धारा 433 की उपधारा (क) में अंकित भारतीय दण्ड संहिता 1860 का 45 द्वारा उपबन्धित किसी अन्य दण्ड के रूप में लघुकरण कर सकती है।, के स्थान पर)
- (ख) आजीवन कारावास के दण्डादेश **को सात वर्ष से अन्यून** (द0प्र0सं0 की धारा 433 की उपधारा (ख) में अंकित चौदह वर्ष से अनधिक अवधि के कारावास में या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकती है**,** के स्थान पर) की अवधि के कारावास के लिए;
- (ग) **सात वर्ष या अधिक के लिए कारावास के दण्डादेश को, कारावास की ऐसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से कम न हो;**
- (घ) **सात वर्ष से कम के कारावास के दण्डादेश के लिए जुर्माने का;**, जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 433)
- **धारा 475 कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्तियों पर निर्बन्धन** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 433-क)
- **धारा 476 मृत्यु दण्डादेशों की दशा में केन्द्रीय सरकार की समवर्ती शक्ति** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 434)
- **धारा 477 कतिपय मामलों में राज्य सरकार का केन्द्रीय सरकार से सहमति के पश्चात् कार्य करना** की उपधारा (1)ग में केन्द्रीय सरकार के परामर्श के स्थान पर केन्द्रीय सरकार की सहमति पद को जोडा गया है। धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 435)

# अध्याय – 35
# जमानत और बन्धपत्रों के बारे में उपबन्ध

- धारा 478 **किन मामलों में जमानत ली जाएगी** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 436)
- **धारा 479 अधिकतम अवधि, जिसके लिये विचाराधीन कैदी निरुद्ध किया जा सकता है**
- उपधारा (1) जहां कोई व्यक्ति, किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए इस संहिता के अधीन (जो ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिये उस विधि के अधीन मृत्यु दण्ड या **आजीवन कारावास एक दण्ड** के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है) अन्वेषण, जांच या विचारण की अवधि के दौरान कारावास की उस अधिकतम अवधि के, जो उस विधि के अधीन उस अपराध के लिये विनिर्दिष्ट की गयी है, आधे से अधिक की अवधि के लिये निरोध भोग चुका है, वहां वह न्यायालय द्वारा जमानत पर छोड़ दिया जायेगा :
- **परन्तु ऐसा व्यक्ति प्रथम बार का अपराधी है और (अतीत में किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध नहीं किया गया है) तो वह न्यायालय द्वारा बंधपत्र पर छोड़ दिया जाएगा यदि वह उस विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए विनिर्दिष्ट कारावास की अधिकतम अवधि की एक-तिहाई विस्तार की अवधि तक निरोध रह चुका है:**
- **उपधारा (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, तथा उसके तीसरे परन्तुक के अधीन रहते हुए, जहां किसी व्यक्ति के विरुद्ध या एक से अधिक अपराध या बहु मामले अन्वेषण, जांच या विचारण के लिए लंबित हैं तो उसे न्यायालय द्वारा जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा।**
- **उपधारा (3) जेल का अधीक्षक, जहां अभियुक्त व्यक्ति निरुद्ध है, यथास्थिति, उपधारा (1) में उल्लिखित अवधि का आधा या एक-तिहाई पूर्ण होने पर, ऐसे व्यक्ति को जमानत पर निर्मुक्त करने के लिए उपधारा (1) के अधीन न्यायालय को कार्यवाही करने के लिए तुरन्त लिखित में आवेदन करेगा।,** को जोडा गया है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 436-क)

- धारा 480 **अजमानतीय अपराध की दशा में कब जमानत ली जा सकेगी** की उपधारा (1)(ii) (ii) यदि ऐसा अपराध कोई संज्ञेय अपराध है और ऐसा व्यक्ति मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दण्डनीय किसी अपराध के लिए पहले दोषसिद्ध किया गया है, या वह तीन वर्ष या उससे अधिक के, किन्तु सात वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय किसी संज्ञेय अपराध के लिए दो या अधिक अवसरों पर पहले दोषसिद्ध किया गया है तो वह इस प्रकार नहीं छोड़ा जाएगा :
- परन्तु न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि खण्ड (i) या खण्ड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए यदि ऐसा व्यक्ति, **बालक** (द0प्र0सं0 की धारा 437 की उपधारा (1)(ii) में अंकित 16 वर्ष से कम आयु के स्थान पर) है या कोई महिला या कोई रोगी या शिथिलांग व्यक्ति है :
- परन्तु यह और कि न्यायालय यह भी निदेश दे सकेगा कि खण्ड (ii) में निर्दिष्ट व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाए, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी अन्य विशेष कारण से ऐसा करना न्यायोचित तथा ठीक है :
- परन्तु यह और भी कि केवल यह बात कि अभियुक्त की आवश्यकता, अन्वेषण में साक्षियों द्वारा पहचाने जाने के लिए या **प्रथम पन्द्रह दिन से अधिक की पुलिस अभिरक्षा के लिए हो सकती है**, जमानत मंजूर करने से इंकार करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं होगी, यदि वह अन्यथा जमानत पर छोड़ दिए जाने के लिए हकदार है और वह वचन देता है कि वह ऐसे निदेशों का, जो न्यायालय द्वारा दिए जाएं, अनुपालन करेगा :, जोडा गया है, अध्याय एवं धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 437)
- **धारा 481 अभियुक्त को अगले अपील न्यायालय के समक्ष उपसंजात होने की अपेक्षा के लिए जमानत** की उपधारा (1) में जमानतपत्र पद को जोडा गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 437-क)

- धारा 482 **गिरफ्तारी की आशंका करने वाले व्यक्ति की जमानत मंजूर करने के लिए निदेश** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 438)
- **धारा 483 जमानत के बारे में उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय की विशेष शक्तियां** में संहिता का नाम व धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 439)
- **धारा 484 बन्धपत्र की रकम और उसे घटाना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 440)
- **धारा 485 अभियुक्त और प्रतिभुओं का बन्धपत्र** की उपधारा (1), (2) व (3) में जमानतपत्र पद को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 441)
- **धारा 486 प्रतिभुओं द्वारा घोषणा** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 441-क)
- **धारा 487 अभिरक्षा से उन्मोचन** की उपधारा (1) में जमानतपत्र पद को जोडा गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 442)
- **धारा 488 जब पहले ली गई जमानत अपर्याप्त है तब पर्याप्त जमानत के लिए आदेश देने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 443)
- **धारा 489 प्रतिभुओं का उन्मोचन** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 444)
- **धारा 490 मुचलके के बजाय निक्षेप** में जमानतपत्र पद को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 445)

- **धारा 491 प्रक्रिया, जब बन्धपत्र समपहृत कर लिया जाता है में** धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 446)
- **धारा 492 बन्धपत्र और जमानतपत्र का रद्दकरण** में जमानतपत्र पद को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 446-क)
- **धारा 493 प्रतिभू के दिवालिया हो जाने या उसकी मृत्यु हो जाने या बन्धपत्र का समपहरण हो जाने की दशा में प्रक्रिया** में जमानतपत्र (द0प्र0सं0 की धारा 447 में अंकित बंधपत्र के स्थान पर) पद को जोडा गया है तथा धारा का क्रमांक परिवर्तित है, अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 447)
- **धारा 494 बालक से अपेक्षित बन्धपत्र** यदि बन्धपत्र निष्पादित करने के लिए किसी न्यायालय या अधिकारी द्वार, अपेक्षित व्यक्ति **बालक** (द0प्र0सं0 की धारा 448 में अंकित अव्यस्क के स्थान पर) है तो वह न्यायालय या अधिकारी उसके बदले में केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बन्धपत्र स्वीकार कर सकता है। अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 448)
- **धारा 495 धारा 491 के अधीन आदेशों से अपील** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 449)
- **धारा 496 कतिपय मुचलकों पर देय रकम का उग्रहण करने का निदेश देने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 450)

# अध्याय – 36

# सम्पत्ति का व्ययन

- **धारा 497 कतिपय मामलों में विचारण लम्बित रहने तक सम्पत्ति की अभिरक्षा और व्ययन के लिए आदेश**

- उपधारा (1) जब कोई सम्पत्ति, किसी दण्ड न्यायालय या विचारण के लिए मामले का संज्ञान या **सुपुर्द करने हेतु सशक्त मजिस्ट्रेट के समक्ष किसी अन्वेषण**, जांच या विचारण के दौरान पेश की जाती है तब वह न्यायालय **या मजिस्ट्रेट** उस **अन्वेषण**, जांच या विचारण के समाप्त होने तक ऐसी सम्पत्ति की उचित अभिरक्षा के लिए ऐसा आदेश, जैसा वह ठीक समझे, कर सकता है और यदि वह सम्पत्ति शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील है या यदि ऐसा करना अन्यथा समीचीन है तो वह न्यायालय **या मजिस्ट्रेट** ऐसा साक्ष्य अभिलिखित करने के पश्चात् जैसा वह आवश्यक समझे, उसके विक्रय या उसका अन्यथा व्ययन किए जाने के लिए आदेश कर सकता है।

- **(2) न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा (1) में निर्दिष्ट सम्पत्ति को उसके समक्ष प्रस्तुत करने से चौदह दिन की अवधि के भीतर ऐसी सम्पत्ति के ब्यौरे अंतर्विष्ट करने वाला विवरण ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में, जो राज्य सरकार नियमों द्वारा उपबंधित करे, तैयार करेगा।**

- **(3) न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा (1) में निर्दिष्ट सम्पत्ति का, फोटो खिंचवाएगा, यदि आवश्यक हो, तो मोबाइल फोन या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक मीडिया पर वीडियो बनवाएगा।**

- **(4) उपधारा (2) के अधीन तैयार विवरण और उपधारा (3) के अधीन लिए गए फोटो या वीडियोग्राफी इस संहिता के अधीन किसो जांच, विचारण या अन्य कार्यवाही में साध्य के रूप में उपयोग किए जाएंगे।**

- **(5) न्यायालय या मजिस्ट्रेट उपधारा (2) के अधीन तैयार किए गए विवरण और उपधारा (3) के अधीन लिए गए फोटो या वीडियोग्राफी लिए जाने के तीस दिन की अवधि के भीतर सम्पत्ति के निपटान, नष्ट, अधिवत या परिदान करने का आदेश ऐसी रीति में, जो इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट है, करेगा।,** को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 451)

- धारा 498 **विचारण की समाप्ति पर सम्पत्ति के व्ययन के लिए आदेश**
- उपधारा (1) जब किसी **आपराधिक मामले** (द0प्र0सं0 की धारा 452 में अंकित दण्ड न्यायालय के स्थान पर) में अन्वेषण, जांच या विचारण समाप्त हो जाता है तब न्यायालय या **मजिस्ट्रेट** उस सम्पत्ति या दस्तावेज को, जो उसके समक्ष पेश की गई है, या उसकी अभिरक्षा में है या जिसके बारे में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जो किसी अपराध के करने में प्रयुक्त की गई है, नष्ट करके, अधिक्षत करके या किसी ऐसे व्यक्ति को परिदान करके, जो उस पर कब्जा करने का हकदार होने का दावा करता है, या किसी अन्य प्रकार से उसका व्ययन करने के लिए आदेश दे सकेगा जैसा वह ठीक समझे।, को जोडा गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 452)
- **धारा 499 अभियुक्त के पास मिले धन का निर्दोष क्रेता को संदाय** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 453)
- **धारा 500 धारा 498 या धारा 499 के अधीन आदेशों के विरुद्ध अपील**
- उपधारा (1) **धारा 498 या धारा 499** के अधीन किसी न्यायालय **या मजिस्ट्रेट** द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उसके विरुद्ध अपील उस न्यायालय में कर सकता है जिसमें मामूली तौर पर पूर्वकथित न्यायालय द्वारा की गई दोषसिद्धि के विरुद्ध अपीलें होती हैं।, जोडा गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 454)
- **धारा 501 अपमानलेखीय और अन्य सामग्री का नष्ट किया जाना** में संहिता का नाम व धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 455)
- **धारा 502 स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने की शक्ति** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 456)

- धारा 503 **सम्पत्ति के अभिग्रहण पर पुलिस द्वारा प्रक्रिया** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 457)
- **धारा 504 जहां छह मास के अन्दर कोई दावेदार हाजिर न हो वहां प्रक्रिया** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 458)
- **धारा 505 विनश्वर सम्पत्ति को बेचने की शक्ति** यदि ऐसी सम्पत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है या यदि उस मजिस्ट्रेट की, जिसे उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट की गई है, यह राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा या ऐसी सम्पत्ति का **मूल्य दस हजार रुपये से कम** (द0प्र0सं0 की धारा 459 में अंकित पांच सौ रूपये से कम के स्थान पर) है तो मजिस्ट्रेट किसी समय भी उसके विक्रय का निदेश दे सकता है और ऐसे विक्रय के शुद्ध आगमों **को धारा 503 और 504** के उपबन्ध यथासाध्य निकटतम रूप से लागू होंगे।, को जोडा गया है धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 459)

# अध्याय – 37
# अनियमित कार्यवाहियां

- **धारा 506 वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित नहीं करतीं** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 460)
- **धारा 507 वे अनियमितताएं जो कार्यवाही को दूषित करती हैं** की उपधारा (ख) में द0प्र0सं0 की धारा 461 की उपधारा (ख) में अंकित तार पद को हटा दिया गया है तथा धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 461)
- **धारा 508 गलत स्थान में कार्यवाही** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 462)
- **धारा 509 धारा 183 या धारा 316 के उपबन्धों का अननुपालन** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 463)
- **धारा 510 आरोप विरचित न करने या उसके अभाव या उसमें गलती का प्रभाव** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 464)
- **धारा 511 निष्कर्ष या दण्डादेश कब गलती, लोप या अनियमितता के कारण उलटने योग्य होगा** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 465)
- **धारा 512 त्रुटि या गलती के कारण कुर्की का अवैध न होना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 466)

# अध्याय – 38
# कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा

- **धारा 513 परिभाषा** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 467)
- **धारा 514 परिसीमा- काल की समाप्ति के पश्चात् संज्ञान का वर्जा**
- उपधारा (3) इस धारा के प्रयोजनों के लिए उन अपराधों के सम्बन्ध में, जिनका एक साथ विचारण किया जा सकता है, परिसीमा-काल उस अपराध के प्रतिनिर्देश से अवधारित किया जाएगा जो, यथास्थिति, कठोरतर या कठोरतम दण्ड से दण्डनीय है।
- **स्पष्टीकरण- परिसीमा की अवधि संगणित करने के प्रयोजन के लिए, सुसंगत तारीख धारा 223 के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की तारीख या धारा 173 के सूचना अभिलिखित करने को तारीख होगी।,** को जोडा गया है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 468)
- **धारा 515 परिसीमा-काल का प्रारम्भ** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 469)
- **धारा 516 कतिपय मामलों में समय का अपवर्जन** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 470)
- **धारा 517 जिस तारीख को न्यायालय बन्द हो उस तारीख का अपवर्जन** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 471)
- **धारा 518 चालू रहने वाला अपराध** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 472)
- **धारा 519 कतिपय मामलों में परिसीमा-काल का विस्तारण** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 473)

# अध्याय – 39
# प्रकीर्ण

- **धारा 520 उच्च न्यायालयों के समक्ष विचारण** में धारा का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 474)
- **धारा 521 सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय व्यक्तियों का कमान आफिसरों को सौंपा जाना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 475)
- **धारा 522 प्ररूप** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 476)
- **धारा 523 उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 477)
- **धारा 524 कतिपय मामलों में कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए कृत्यों को परिवर्तित करने की शक्ति** में धाराओं का क्रमांक परिवर्तित है अन्य कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 478)
- **धारा 525 वे मामले जिनमें न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 479)
- **धारा 526 विधि-व्यवसाय करने वाले अधिवक्ता का कुच्छ न्यायालयों के मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 480)

- **धारा 527 विक्रय से सम्बद्ध लोक सेवक का सम्पत्ति का क्रय न करना और उसके लिए बोली न लगाना** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 481)
- **धारा 528 उच्च न्यायालय की अन्तर्निहित शक्तियों की व्यावृत्ति** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 482)
- **धारा 529 न्यायालयों पर अधीक्षण का निरन्तर प्रयोग करने का उच्च न्यायालय का कर्त्तव्य** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 483)
- **धारा 530 इलैक्ट्रानिक पद्धति में विचारण और कार्यवाहियों का किया जाना- इस संहिता के अधीन सभी विचारण और कार्यवाहियां, जिसके अन्तर्गत--**
- **(1) समन और वारंट, को जारी करना, तामील करना और निष्पादन करना;**
- **(ii) शिकायतकर्ता और साक्षियों की परीक्षा;**
- **(iii) जांच और विचारणों में साक्ष्य अभिलिखित करना; और**
- **(iv) सभी अपीलीय कार्यवाहियों या कोई अन्य कार्यवाही,**
- **इलैक्ट्रानिक संसूचना के उपयोग या श्रव्य दृश्य इलैक्ट्रानिक साधनों के उपयोग द्वारा इलैक्ट्रानिक पद्धति में की जा सकेंगी।** यह धारा नई जोडी गयी है।
- **धारा 531 निरसन और व्यावृत्तियाँ** में कोई परिवर्तन नहीं है। (द0प्र0सं0 की समवर्ती धारा 484)

# धन्यवाद